उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्याः- ...426...../36-03-2026-1901341

लखनऊ; दिनाँक: ...10, मार्च..... 2026

अधिसूचना

चूंकि मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) के पश्चातवर्ती अधिनियमिति के क्रम में, प्रारूप उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021, जो अधिसूचना संख्या 1505/XXXVI-3-2020-103 (सा)-2020 दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा पूर्वोक्त संहिता की धारा 67 की अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि, पूर्वोक्त नियमावली के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात, अंतिम उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021 अधिसूचना संख्या 1738/XXXVI-3-2021-103(सा)-2020, दिनांक 16 सितंबर, 2021 के माध्यम से सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी थी, किंतु उक्त नियमावली को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि मजदूरी संहिता, 2019 उस समय प्रवर्तन में नहीं थी;

और चूंकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 5322(अ), दिनांक 21 नवंबर, 2025 के माध्यम से, उक्त संहिता के समस्त उपबंधों को प्रवृत्त कर दिया गया है;

अतः, इससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रारूप नियमावली, 2026 को पूर्व-प्रकाशित करने का विनिश्चय किया गया है;

और चूंकि, पूर्वोक्त संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात, केंद्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 936(अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2025 के माध्यम से मजदूरी संहिता नियमावली, 2025 का एक नया प्रारूप प्रकाशित किया है;

और चूंकि, मजदूरी संहिता, 2019 के क्रियाशील होने और भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियमावली, 2025 का प्रारूप प्रकाशित किए जाने के उपरांत, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह पूर्वोक्त संहिता और केंद्रीय नियमावली, 2025 के कार्यात्मक ढांचे के साथ निरंतरता (एकरूपता) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में तत्सम्बंधी नियमावली को नए सिरे से तैयार करे, प्रकाशित करे, अंतिम रूप प्रदान करे और अधिसूचित करे;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता नियमावली, 2019 की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और (क) उत्तर प्रदेश मजदूरी भुगतान

नियमावली, 1936; (ख) उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952; (ग) उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी है या किये जाने हेतु लोपित हों, राज्यपाल, जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, मजदूरी संहिता नियमावली, 2019 की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टिगत से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

पूर्वोक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में समस्त आपत्तियां और सुझाव दो प्रतियों में प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ-226001 और श्रम आयुक्त, (श्रम सुधार प्रकोष्ठ) कार्यालय, जी.टी. रोड, कानपुर को संबोधित करते हुए प्रेषित किये जाएंगे;

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली
उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026

अध्याय-एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 कही जायेगी, (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा, (3) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2	(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,- (क) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 19 की उपधारा (1) तथा धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है; (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी से है; (ग) "अपील" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील से है; (घ) "बोर्ड" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड से है; (ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(च) "संहिता" का तात्पर्य मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019), से है;

(छ) "समिति" का तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति से है;

(ज) "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;

(झ) "परिवार" से तात्पर्य किसी कर्मचारी के निम्नलिखित सभी या किन्हीं संबंधियों से है;

(एक) पति/पत्नी;

(दो) कर्मचारी पर आश्रित कोई अल्पवयस्क धर्मज या दत्तक संतान;

(तीन) ऐसी संतान जो पूर्णतः कर्मचारी की आय पर आश्रित है, और जोः

(क) इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक शिक्षा प्राप्त कर रही है; और

(ख) अविवाहित पुत्री है;

(चार) ऐसी संतान जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अशक्त है और पूर्णतः कर्मचारी की आय पर आश्रित है, जब तक ऐसी अशक्तता बनी रहती है;

(पांच) आश्रित माता-पिता (जिसमें पति/पत्नी के सास और ससुर सम्मिलित हैं), जिनकी सभी स्रोतों से आय उस आय से अधिक नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(ञ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से हैं;

(ट) "भौगोलिक क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(ठ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में विनिर्दिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि में गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करे;

(ड) "निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता" का तात्पर्य धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ढ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

		(ण) "अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से है; (त) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है, जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आकड़े प्रकाशित किये गये हैं; (थ) "पंजीकृत व्यवसाय संघ" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय संघ से है, जो औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन पंजीकृत है; (द) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है; (ध) "धारा" का तात्पर्य, इस संहिता की धारा से है; (न) "अर्द्धकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसके निष्पादन में काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है; (प) "कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में काम पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता अपेक्षित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने तथा निर्णय करने की आवश्यकता होती है; (फ़) "अकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होती है। (2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित अन्य समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

अध्याय-दो
न्यूनतम मजदूरी

धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन मजदूरी की प्रति घण्टा तथा प्रति माह दर की गणना की रीति	3	(1) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर के लिए ऐसी मजदूरी को आठ से भाग और एक महीने की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जायेगा और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक भागफल और गुणनफल को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम भागफल और गुणनफल को नजर-अंदाज किया जायेगा।

		(2) पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह की स्थिति में, इस प्रकार संगणित न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग दिन की न्यूनतम मजदूरी निकालने के लिए किया जाएगा
धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत किये जाने हेतु मापदण्ड	4	धारा 6 की उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जायेगी, अर्थात्:- (क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या पति और दो बच्चे, सम्मिलित हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं; (ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत; (ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा; (घ) आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा; (ड़) ईंधन, बिजली और अन्य विविध मदों के व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होगी; (च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकतायें, मनोरंजन एवं अन्य आकस्मिक मदों पर व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा।
धारा 6 की उपधारा (6) के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दरों के निर्धारण के मानक तथा दुष्कर कार्य पर विचार किया जाना	5	(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी (एक) भौगोलिक क्षेत्र (दो) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव, और (तीन) अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तर परन्तु यह कि राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते नियत नही करेगी। (2) राज्य सरकार, व्यवसायों के कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनता, परिसंकटमय व्यवसायों या प्रक्रियाओं और भूमिगत कार्य तथा इसी तरह के अन्य वर्गीकरण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्- (क) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश - अध्यक्ष; (ख) निदेशक, सेवायोजन - सदस्य (ग) मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या उनका प्रतिनिधि - सदस्य; (घ) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि - सदस्य;

		(ड़) कारखाना निदेशक - सदस्य; (च) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (प्रवर्तन) - सदस्य; (छ) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (औद्योगिक संबंध) - सदस्य सचिव; (ज) राज्य सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के दो तकनीकी विशेषज्ञ- सदस्य; (झ) नियोक्ताओं और कर्मचारियों के दो-दो प्रतिनिधि जो कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों - सदस्य; (3) राज्य सरकार, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची क में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में किसी प्रविष्टि को संशोधित, सम्मिलित या लोपित (हटाकर) करके, व्यवसायों के अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल और अति-कुशल श्रेणियों में वर्गीकरण के संबंध में अनुसूची-क में संशोधन कर सकती है। (4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय, संभव सीमा तक, व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवसायों की पहचान करने के लिये तत्समय बनाए जा रहे अन्य सम्मान ढांचे को ध्यान में रखेगी।
धारा-7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन परिवर्ती महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिये समय अन्तराल	6	न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को संदेय परिवर्ती महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिये निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की संगणना, प्रत्येक वर्ष एक बार 01 अप्रैल के पूर्व और तत्पश्चात 01 अक्टूबर के पूर्व श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मकारों के लिये प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए की जायेगी।
धारा 8 के प्रयोजनार्थ न्यूनतम वेतन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु समितियों का गठन	7	(1) राज्य सरकार किसी वर्ग के अन्तर्गत प्रथम बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने अथवा न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करने अथवा कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में जाँच करने तथा राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ एक अथवा एक से अधिक समितियाँ गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1	श्रमआयुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	श्रमआयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अपर श्रमायुक्त	-सदस्य
3	सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य

		4	निदेशक, सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार -सदस्य
		5	श्रमआयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र के दो तकनीकी विशेषज्ञ -सदस्य
		6	नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि -सदस्य
		7	कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि -सदस्य
		8	श्रम आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप/ सहायक श्रमायुक्त सदस्य-सचिव
			(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा सम्भव सीमा तक राज्य व्यवसाय वर्गीकरण अथवा राज्य कौशल अर्हता ढाँचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये गये अन्य समान ढाँचे को ध्यान में रखेगी। (3) उप नियम (1) के अधीन गठित समिति की सलाह पर राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रचालन के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि में संशोधन, अपमार्जन और परिवर्धन करते हुये कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों- अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल में वर्गीकृत कर सकेगी।
धारा-10 के खण्ड (दो) के परन्तुक के अधीन परिस्थितियाँ		8	धारा 10 के अधीन, कोई कर्मचारी एक पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य के घंटों की संख्या		9	(1) कार्य के घण्टों की संख्या, जो एक या अधिक विनिर्दिष्ट अन्तरालों सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी, समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष अनुदेश के अनुसार होगी। (2) किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थितकी जाएगी कि विश्राम के अंतराल सहित समय-समय परजारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार घंटों की संख्या से अधिक नहीं होगा।
धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ साप्ताहिक विश्राम दिवस का निर्धारण एवं विश्राम दिवस पर लिये गये कार्य के सापेक्ष		10	(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक से अधिक के दिन का, जैसी भी स्थिति हो, विश्राम की अनुमति दी जायेगी (जिसे आगे "विश्राम दिवस" कहा गया है), जो छह दिवसीय सप्ताह की स्थिति में सामान्यतः रविवार होगा और छह दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में शनिवार और रविवार सम्मिलित होंगे, किंतु नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के

किया जाने वाला भुगतान	किसी भी अन्य दिन को विश्राम दिवस के रूप में नियत कर सकता है; परन्तु यह कि, छह दिवसीय कार्य सप्ताह या छह दिन से कम के कार्य सप्ताह में, जैसी भी स्थिति हो, सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मचारियों के लिए सवेतन विश्राम दिवस होंगे; परन्तु यह भी कि, इस उप-नियम के अधीन कोई कर्मचारी विश्राम दिवस का हकदार तब होगा जब उसने उसी नियोक्ता के अधीन छह दिवसीय सप्ताह की स्थिति में अन्यून छह दिन की निरंतर अवधि के लिए कार्य किया हो, और छह दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिये कार्य किया हो; परन्तु यह भी कि, कर्मचारी को विश्राम के रूप में नियत दिनों की और विश्राम दिवस में किसी भी आगामी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व, नियोजन के स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर उस आशय का नोटिस प्रदर्शित करके सूचना दी जाएगी। स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्यून छह दिनों की निरंतर अवधि या सप्ताह में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,- (क) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और काम प्रदान नहीं किया जाता है, (ख) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, और (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान जैसा भी मामला हो विश्राम दिनों से ठीक पहले को वेतन के साथ या बिना वेतन के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश, उन दिनों के रूप में माना जाएगा जिन पर कर्मचारी ने काम किया है, (2) ऐसे किसी भी कर्मचारी से विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा नही की जायेगी या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने विश्राम दिवस से ठीक पहले या बाद वाले सप्ताह के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन पूरे दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया हो अथवा न ही लेगा। परंतु यह कि ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिस के परिणाम स्वरूप कर्मचारी को पूर्ण विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करना पड़े। (3) उपनियम (1) और (2) के अनुसार जहाँ, कोई कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे विश्राम के दिन से पहले या बाद के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिया जाता है, तो कार्य

के साप्ताहिक घंटो की गणना के प्रयोजनार्थ, उस विश्राम दिवस को उसी सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वह प्रतिस्थापित विश्राम का दिन आया है।

(4) किसी कर्मचारी को विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिये लागू दर पर आगणित मजदूरी प्रदान की जाएगी;

और जहाँ वह विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तब उसे उस विश्राम दिवस के लिये अतिकाल दर से मजदूरी तथा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिये अगले पूर्ववर्ती दिन के लिये लागू दर से मजदूरी दी जायेगी;

परंतु यह कि छह दिवसीय कार्य सप्ताह के मामले में जहाँ-

(क) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है; या

(ख) कर्मचारी की वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है और ऐसी वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर से कम नहीं है, तो विश्राम के दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(ग) कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे केवल उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था, अतिकाल दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा,

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबंधों के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर निकाली गई है, तो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उप मुख्य श्रम आयुक्त, इस निमित्त उन्हें दिए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उस पर विनिश्चय कर सकता है:

परंतु यह और कि, मात्रानुपाती दर प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारी के मामले में, उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर वह कार्य करता है, अतिकाल दर पर मजदूरी दी जाएगी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन लागू दर पर मजदूरी दी जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ "अगले पूर्ववर्ती दिन" का तात्पर्य उस अंतिम दिन से है जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के पहले, जैसा भी मामला हो, आता है; और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन का तात्पर्य वह अंतिम दिन होगा, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस के पहले था।

		नियमावली के उपबंधों के प्रवृत्त होने से अपेखाकृत अधिक अनुकूल शर्तों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें कोई कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा के निबंधनों के अधीन हकदारहो और ऐसी स्थिति में कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निबंधनों का हकदार होगा। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "सप्ताह" का तात्पर्य शनिवार रात्रि की अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली सात दिनों की अवधि से है।
धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन रात्रि पाली का निर्धारण	11	जहाँ पर कर्मचारी, नियोजन में पाली में काम करता है जो अर्ध-रात्रि के पश्चात् भी चलती है तबः- (क) नियम 10 के प्रयोजनार्थ पूरे दिवस के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर लगातार चौबीस घण्टे की अवधि से है; और (ख) ऐसे मामले में अगला दिवस ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्द्धरात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।
धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन सीमा एवं शर्तें	12	धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए सीमा और शर्तें निम्नलिखित कर्मचारियों के मामले में- (क) किसी ऐसी आपात स्थिति में कार्यरत हो जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था या उसे रोका नही जा सकता था; (ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ हो जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित नियोजन में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित सीमाओं के बाहर कराया जाना चाहिए; (ग) जिनका नियोजन अनिवार्य रूप से रुक-रुक कर होता है; (घ) किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ हो जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूर्व पूरा किया जाना हो; और (ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समय के अलावा नहीं किया जा सकता था, कार्य के घंटों की संख्या जो एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट अंतराल सहित एक सामान्य कार्यदिवस का गठन करेगी और कर्मचारी के कार्य घंटों का प्रसार नियम-9 के अधीन समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट घंटों की संख्या से अधिक हो सकता है।
धारा-14 के अधीन लम्बी मजदूरी अवधि का निर्धारण	13	मजदूरी के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

अध्याय-तीन
मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन कटौतियों की वसूली की रीति	14	जहाँ धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक हों, वहाँ अधिक धनराशि को अग्रेनीत किया जाएगा और यथास्थिति उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, में ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।
धारा 19 की उप-धारा(1) के अधीन प्राधिकारी	15	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार हो, धारा 19 की उप-धारा(1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।
धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस प्रदर्शित करने की रीति	16	धारा 19 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस, उस कार्यस्थल के परिसर में जहाँ नियोजन संचालित होता है, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की सामग्री को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अड़तालीस घंटे के भीतर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।
		(1) प्रत्येक नियोजक जिसके लिये किसी नियोजित व्यक्ति के कार्यों या लोपों के लिये जुर्माना लगाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करना अभीष्ट हो, वह अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को भेजेगा- (क) दो प्रतियों में, ऐसे कार्यों एवं लोपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हुयी एक सूची; (ख) ऐसे मामलों में जहाँ नियोजक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु एकमात्र व्यक्ति होने की इच्छा नहीं रखता है, अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके ऊपर वह अधिष्ठान में जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्भर रह सकता है और अधिष्ठान के वर्ग, जिनके ऊपर ऐसे प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति पर निर्भर रह सकता है, की दो प्रतियों में सूची प्रदर्शित करते हुये प्रेषित करेगा। (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सूची प्राप्त होने के उपरान्त ऐसी जाँच जिसे किया जाना वह अभीष्ट समझे, आदेश पारित कर सकेगा- (क) सूची को अनुमोदित न किया जाना; (ख) सूची को या तो उसके मूल स्वरूप में या उसके द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदन किया जाना, इस मामले में, ऐसी सूची को अनुमोदित सूची माना

		जायगा। परन्तु यह कि किसी सूची को अनुमोदित या संशोधित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि नियोजक को लिखित में कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची को क्यों अनुमोदित किया जाना चाहिये;
धारा 19 की उप-धारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रकिया तथा उप-धारा (8) के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाली पंजिका का प्रपत्र एवं जुर्माने की धनराशि को व्यय करने की रीति	17	(3) नियोजक ऐसी अनुमोदित सूची की एक प्रति को अधिष्ठान के प्रवेश द्वार तथा नोटिस बोर्ड पर अँग्रेजी तथा उसके हिन्दी अनुवाद सहित प्रदर्शित करेगा। (4) कोई भी जुर्माना, नियोजक या ऐसी नियुक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम उप नियम (1) के खण्ड (ख) में प्रस्तुत की गयी सूची में निर्दिष्ट हो, के अतिरिक्त अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा। (5) कोई व्यक्ति जो किसी नियोजित व्यक्ति के ऊपर जुर्माना अधिरोपित करना चाहता है या किसी नुकसान या हानि के लिये कटौती करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से उक्त व्यक्ति को, ऐसे कार्य या लोप या नुकसान या हानि, जिसके सन्दर्भ में जुर्माना या कटौती अधिरोपित की जानी है, स्पष्ट करेगा और उसका स्पष्टीकरण मौखिक रूप से कम से कम एक व्यक्ति जो उस समय ऐसे स्थान पर मौजूद था, की उपस्थिति में या लिखित रूप में प्राप्त करेगा, जैसा कि नियोजित व्यक्ति द्वारा अधिमान प्रदान किया जाय। (6) जुर्माना अधिरोपित करने वाला व्यक्ति या नुकसान या हानि के लिये कटौती किये जाने का निर्देश देने वाला व्यक्ति बिना अनावश्यक विलम्ब के नियोजक को समस्त विवरण के साथ अवगत करायेगा और नियोजक ऐसे जुर्माने या कटौती को प्रपत्र-1 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा। (7) सभी प्रकार की कटौतियों, जुर्मानों तथा वसूलियों के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित धनराशि का प्रयोग अधिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं या उपबंधों के माध्यम से, लाभकारी प्रयोजनों के लिए लागू की जायेगी जो नियोक्ता द्वारा तैयार की गयी हो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/ उप श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो, किया जायेगा: परन्तु यह कि इस नियमावली की कोई बात नियोक्ता को इन कल्याणकारी उपायों अथवा योजनाओं में उसे किसी धनराशि का अभिदान करने से निवारित नहीं करेगी।
		धारा 20 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन कटौती की रीति और

धारा-20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कटौती की रीति एवं कटौती सूचना दिया जाना	18	कटौती की सूचना (1) जहाँ नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन कटौतियां करने का इच्छुक है, वहाँ नियोक्ता संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का उचित अवसर तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, कटौतियां अधिरोपित करने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित करेगा और कटौती करने के लिए जारी किए गए नोटिस की एक प्रति, कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय को, ऐसी कटौती के दिनांक से दस दिनों के भीतर, ऐसी कटौती और उसके कारण के संबंध में हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा। (2) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता उप-नियम(1) के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि उसमें दिया गया स्पष्टीकरण संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है, तो वह अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के अनुमोदन से, नियोक्ता के विरुद्ध संहिता के अधीन 30 दिन के भीतर उचित कार्रवाई शुरू करेगा।
धारा 21 की उप-धारा(2) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया एवं उपधारा-(3) के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टि	19	यदि कोई नियोजक, धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी से कटौती करना चाहता है, तो वह- (एक) ऐसे कर्मचारी को उसे स्पष्ट रूप से सौंपे गये सामानों की क्षति या नुकसान के लिए अभिरक्षा हेतु या ऐसी धनराशि की क्षति हेतु जिसके लिये उसका जिम्मेदार होना अपेक्षित हो, तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा क्षति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से लिखित में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा; और (दो) तत्पश्चात् सम्बंधित कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पूर्वोक्त उपधारा के अधीन कटौती करने वाले किसी आदेश के सम्बन्ध में सूचना सम्बंधित कर्मचारी को ऐसी कटौती किये जाने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा। (तीन) नियोजक ऐसी कटौती को प्रपत्र-1 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।
		वसूली, जैसी भी स्थिति हो- (एक) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन नियोजन शुरू होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम; या

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के सम्बन्ध में शर्तें	20	(दो) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी को पहले से अर्जित न की गई मजदूरी के अग्रिम, यथास्थिति, नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में की जाएगी, ताकि किसी भी मजदूरी अवधि में कोई भी या सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में नियम-14 में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हों और ऐसी वसूली के विवरण प्रपत्र-1 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज अभिलिखित किए जाएंगे।
ऋण की सीमा तथा धारा 24 के अधीन कटौती	21	धारा 18 की उप धारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन स्वीकृत ऋण की सीमा तथा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उनके देय ब्याज की वसूली हेतु ऐसी कटौतियां, ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होगी।

अध्याय-चार
राज्य सलाहकार बोर्ड

धारा-42 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड,		(1) धारा 42 की उप धारा (4) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। (2) बोर्ड, ऐसे व्यक्तियों, जो नियोजक एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसा कि धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे स्वतन्त्र व्यक्तियों, जैसा कि इस उप धारा के खण्ड (ग) में विहित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, से मिलकर बनेगा। (3) धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी और इस उप धारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह से कम नही होगी। (4) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः- (एक) मा० मंत्री, श्रम एवं सेवाजोजन, उत्तर प्रदेश सरकार – पदेन अध्यक्ष;

उसकी समितियों तथा उप-समितियों का गठन	22	(दो) राज्य विधान मण्डल के दो नाम निर्दिष्ट सदस्य; (तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार; (चार) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार; (पॉच) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार (छः) मजदूरी एवं श्रम संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य (5) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा। (6) राज्य सलाहकार बोर्ड, धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार एक या उससे अधिक समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकती है। बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समितियों तथा उप-समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी तथा ऐसा अध्यक्ष, बोर्ड के स्वतन्त्र सदस्यों में से ही एक होगा। (7) राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय इस तथ्य का ध्यान रखेगी कि स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में न्यूनतम एक-तिहाई महिलायें होंगी।
धारा-42 की उपधारा-(10) के अधीन बोर्ड, समितियों तथा उप समितियों की बैठक	23	बोर्ड तथा उसके द्वारा गठित समितियों तथा उप-समितियों के अध्यक्ष, यथास्थिति, नियम 22 के उपबन्धों के अधयधीन किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है: परन्तु यह कि न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा लिखिम मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष, ऐसी मॉग प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर एक बैठक बुलायेगा।
बोर्ड, समितियों और उप-समितियों की बैठकों की नोटिस	24	अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा तथा पूर्वोक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यवाही के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक के नियत दिनाँक से कम से कम 15 दिन पहले, पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक रीति से, प्रत्येक सदस्य को भेजेगा: परंतु यह कि, आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 7 दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।
		अध्यक्ष (1) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे: परंतु यह कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऐसी बैठक

अध्यक्ष के कृत्य	25	की अध्यक्षता हेतु बोर्ड के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेंगे; (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे; (3) जब बोर्ड की बैठक में, कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो मतदान करायेगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करायेगा।
गणपूर्ति	26	किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि, न्यूनतम एक तिहाई सदस्य तथा नियोजकों एवं कर्मचारियों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो: परंतु यह कि यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसी बैठक को अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा स्थगन में कार्य का निस्तारण किया जाना विधिमान्य होगा, भले ही गणपूर्ति की कमी में सदस्य बैठक में भाग ले रहे हों: परंतु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से या पंजीकृत डाक द्वारा सूचित की जायेगी।
राज्य सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उप समितियों के कार्य का निस्तारण	27	राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों के समस्त कार्यों पर विचार, राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उपसमितियों की बैठक में किया जायेगा और उस पर विनिश्चय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जायेगा और समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा: परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकता है कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक पत्रजातों के परिचालन द्वारा तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा: परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई विनिश्चय नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्यून दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।
मतदान पद्धति	28	राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों में मतदान, सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा और वह इस रीति से किया जायेगा जैसाकि अध्यक्ष विनिश्चित करे।

बैठक की कार्यवाहियाँ	29	(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुये, यथा सम्भव बैठक के तुरंत बाद और किसी दशा में अगली बैठक से अन्यून सात दिन पहले, प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी। (2) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उपसमितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जैसा कि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाय, की पुष्टि की जायेगी।
साक्षियों को समन किया जाना और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना	30	(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थितहोने के लिये समन कर सकता है यदि वह कर्तव्य निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षित समझे, और वह किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। (2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाय और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों के लिये भत्ता संदाय हेतु तत्समय प्रवृत्त मान के अनुसार अपने द्वारा कृत व्ययों हेतु भत्ता का हकदार होगा।
धारा-42 की उपधारा-(2) के अधीन बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड की समितियों तथा उपसमितियों के सदस्यों का कार्यकाल	31	(1) यथास्थिति, बोर्ड के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य अथवा किसी समिति या उप-समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथास्थिति उसकी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले सामान्यतः दो वर्ष का होगा। (2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड का नाम निर्दिष्टस्वतंत्र सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि तक के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया हो; (3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान, अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाये; (4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।
यात्रा भत्ता	32	राज्य सलाहकार बोर्ड, समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में की गयी किसी यात्रा के लिए राज्य सरकार के श्रेणी-क के अधिकारी के लिये लागू न्यूनतम दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहराव भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।

अधिकारी और कर्मचारिवर्ग	33	राज्य सरकार, बोर्ड के लिये, बोर्ड के सदस्य-सचिव से भिन्न, एक सचिव और बोर्ड की समितियों और उप-समितियों के लिए एक या एक से अधिक सचिवों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो तथा बोर्ड, समितियों, उप समितियों के लिये अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह बोर्ड, समितियों और उप-समितियों के संचालन के लिए आवश्यक समझे।
बोर्ड, समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्याग पत्र	34	(1) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। (2) कोई त्यागपत्र, उसकी स्वीकृति की सूचना के दिनांक या त्यागपत्र के दिनांक, जो भी कम हो, से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा। (3) जब बोर्ड की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना हो तो सदस्य-सचिव, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा और तब राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी।
सदस्यता का समापन	35	यदि बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह उसका सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा।
निरर्हता	36	(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निरर्ह हो जायेगा- (एक) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया जाय; अथवा (दो) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; अथवा (तीन) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्ध-दोषी हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम(1) के अधीन कोई निरर्हता हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय-पाँच
असंवितरित बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उप-	37	(क) प्रत्येक कर्मचारी प्रपत्र-12 में एक घोषणा करेगा, जिसमें वह किसी

धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भुगतान		व्यक्ति को अपनी मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए नामनिर्देशित करेगा, यदि वह राशि संदेय होने से पहले या संदेय होने के पश्चात भुगतान किए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। (ख) यदि नामनिर्देशन के समय कर्मचारी का परिवार है, तो नामनिर्देशन पति/पत्नी के पक्ष में या वरीयता के आधार पर पति/पत्नी और उसके बाद उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में होगा; परंतु यह कि परिवार वाले कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा; परंतु यह और कि कर्मचारी द्वारा अपने विवाह पर अपने पति/पत्नी के पक्ष में नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य माना जाएगा। (ग) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या अंशतः किसी नाबालिग के पक्ष में है, वहाँ कर्मचारी अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है, या जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, वहाँ वह अपने विवेक से किसी अन्य व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है। (घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करता है, तो वह नामनिर्देशन में अपने विवेक से प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय धनराशि या हिस्सा विनिर्दिष्ट करेगा, ताकि उसकी सम्पूर्ण जमापूंजी की धनराशि का भुगतान किया जा सके।
धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों को जमा किया जाना	38	(1) जहाँ संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि उसकी मृत्यु के पश्चात या उसके पते का पता न होने के कारण देय है, और वह राशि संदेय होने के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को भुगतान नहीं की जा सकी है, तो ऐसी धनराशि नियोक्ता द्वारा अधिकारिता रखने वाले अपर/उप श्रम आयुक्त के पास जमा की जाएगी, जो धनराशि जमा होने के दिनांक से दो महीने के भीतर कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उसे धनराशि संवितरित करेंगे। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर/उप श्रमायुक्त राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे। (2) जहाँ इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि

		उसका मृत्यु के पश्चात या उसके पते का पता न होने के कारण देय है, और वह इस कारण असंवितरित रह जाती है क्योंकि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किसी अन्य कारण से, ऐसी धनराशि संदेय होने के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को भुगतान नहीं की जा सकी है, तो ऐसी सभी धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा उक्त तीन महीने की अवधि के अंतिम दिन के बाद पंद्रहवें दिन की समाप्ति से पहले, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की जाएगी।
धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निस्तारण की रीति	39	(1) नियम-37 और नियम-38 में निर्दिष्ट धनराशि (जिसे आगे इस नियम में धनराशि कहा गया है), जो अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की गई है, उनके पास रहेगी और उक्त धनराशि केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधानित की जाएगी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी। (2) अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उपश्रमआयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथाशक्य-शीघ्र धनराशि से सम्बंधित विवरणों, जैसा कि क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा पर्याप्त समझा जाय, से अन्तर्विष्ट नोटिस कम से कम पन्द्रह दिनों के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति नियोक्ता को भी हस्तकृत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रीति, दोनों माध्यमों से प्रेषित की जाएगी तथा इसे अधिकतम प्रसार वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। यह नोटिस श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग लिंक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा; परंतु यह कि स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (3) उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथास्थिति नामनिर्देशिती को या उस व्यक्ति को जिसने ऐसी धनराशि का दावा किया है, धनराशि अवमुक्त करेगा, जिसके पक्ष में ऐसे क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त ने सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धनराशि भुगतान किए जाने का विनिश्चय किया है। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा विधिक वारिस की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे। (4) यदि असंवितरित धनराशि दो वर्ष की अवधि तक के लिए

		अदावाकृत रहती है, तो आधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऐसी धनराशि को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अंतरित करेगा। (5) उप-नियम (4) के अनुसार उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में इस प्रकार अंतरित धनराशि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों द्वारा प्रशासित की जाएगी।

अध्याय- छह
प्रपत्र, रजिस्टर, मजदूरी पर्ची

नियोजकों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर	40	प्रत्येक नियोजक, जिस पर मजदूरी संहिता, 2019 लागू होता है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा- (एक) उक्त संहिता के अनुसार प्रपत्र-एक में की गयी मजदूरी, अतिकाल, जुर्माना, विभिन्न कटौतियों का विवरण उल्लिखित होगा; (दो) प्रपत्र-दो में उक्त संहिता की धारा 50 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगा; (तीन) संहिता की धारा-44 की उपधारा-(1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन प्रपत्र, प्रपत्र-बारह में अनुरक्षित किये जायेंगें; (चार) सभी रजिस्टर भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से डिजिटल स्वरूप में अनुरक्षित किये जायेंगे; (पांच) इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक रजिस्टर को उनमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिये संरक्षित किया जायेगा।
इस नियमावली के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र	41	(1) इस नियमावली के साथ संलग्न और नीचे सारणी में उल्लिखित प्रपत्र, इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों के लिये प्रयोग किये जायेंगे-

प्रपत्र संख्या	सम्बन्धित नियम	प्रपत्र की विशिष्टियाँ
तीन	नियम 43	धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल

				आवेदन-पत्र
		चार	नियम 44 (1)	प्राधिकार प्रमाण-पत्र
		पाँच	नियम 44 (5)(एक)	आवेदन-पत्र के निस्तारण हेतु नोटिस
		छः	नियम 44 (6)(एक)	निदेश के आदेश का अभिलेख
		सात	नियम 45 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 49 की उप धारा (1) के अधीन अपील
		आठ	नियम 45 (3)	मजदूरी संहिता की धारा 49 के अधीन अपील की सुनवाई हेतु प्रत्यर्थी को नियत दिनांक की नोटिस
		नौ	नियम 42	मजदूरी पर्ची
		दस	नियम 50 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उप धारा (4) के अधीन अपराध के प्रशमन के लिये नियोजक का आवेदन-पत्र
		ग्यारह	नियम 50 (2)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने हेतु प्रशमनकर्ता अधिकारी द्वारा अनिवर्तनकर्ता नियोजक को नोटिस
		बारह	नियम 37 (क)	धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नाम-निर्देशन प्रपत्र
		(2) धारा 19 की उप धारा (8) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त होंगे।		
मजदूरी पर्ची	42	प्रत्येक नियोजक, मजदूरी का संदाय करने या उसके पूर्व, कर्मचारियों को प्रपत्र- नौ में मजदूरी पर्चियाँ, इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा भौतिक रूप से जारी करेगा।		

अध्याय-सात

दावा आवेदनों और अपीलों के निपटान की प्रक्रिया

दावे के लिये प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र	43	धारा 45 की उपधारा (4) में यथा उल्लिखित कोई कर्मचारी या किसी संख्या में कर्मचारियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा, दावे के लिये आवेदन-पत्र, धारा 45 की उप धारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष, अधिकारिता वाले क्षेत्र, जहां अधिष्ठान अवस्थित है, में ऐसे प्रपत्र में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-तीन में हस्तकृत रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों की प्रक्रिया	44	(1) संहिता की धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से कार्य करने का प्राधिकार, प्रपत्र-चार में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र द्वारा दिया जायेगा और, आवेदन-पत्र या अपील की सुनवाई कर रहे यथास्थिति प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का अंग होगा। (2) कोई व्यक्ति, जो किसी नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकारी की अनुज्ञा चाहता हो, मामले में अपने हितों को स्पष्ट करते हुए प्राधिकारी को एक संक्षिप्त लिखित कथन प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकारी, इंकार के इस मामले में कारण बताते हुए कथन पर एक आदेश अभिलिखित करेगा और उसे अभिलेख में सम्मिलित भी करेगा। (3) आवेदन या किसी आवेदन से सुसंगत अन्य दस्तावेज, प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, प्राधिकारी द्वारा नियत किये जाने वाले समय के दौरान किसी समय पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा उसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते हैं। प्राधिकारी तत्काल प्रत्येक दस्तावेज पर यथास्थिति प्रस्तुत किये जाने या प्राप्त किये जाने का दिनाँक, पृष्ठांकित करेगा या पृष्ठांकित करायेगा। (4) आवेदन ग्रहण करने से इन्कार किया जाना- (क) प्राधिकारी, धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन अपने समक्ष प्रस्तुत आवेदन को ग्रहण किये जाने से इंकार कर सकता है, यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्राधिकारी का लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारण से समाधान हो जाता है कि- (एक) आवेदक ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिये हकदार नहीं है; या (दो) यदि आवेदन धारा 45 की उप धारा (6) के परन्तुक में दिये गये कारणों से बाधित है; या (तीन) प्राधिकारी ऐसे आवेदन को ग्रहण करने से इंकार कर सकता है जो, अपर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित अथवा स्टांपित हो या अन्यथा रूप से अपूर्ण हो और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो उसे त्रुटि की सूचना के साथ तुरन्त वापस कर देगा। (ख) यदि आवेदन उसकी त्रुटियों को दूर करते हुए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो पश्चातवर्ती, प्रस्तुत किए जाने के दिनांक को धारा 45 की उप धारा (6) के परन्तुक के प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत किये जाने का

दिनांक समझा जाएगा।

(5) पक्षकारों का उपस्थित होना-यदि आवेदन ग्रहण किया जाता है:

(एक) प्राधिकारी नियोजक से प्रपत्र पांच में नोटिस द्वारा किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को अपने समक्ष ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्यों, यदि कोई हों, के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक की सूचना आवेदक को देगा।

(दो) यदि नियोजक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी सुनवाई के लिये कार्यवाही कर सकता है और आवेदन को एक पक्षीय रूप से अवधारित कर सकता है।

(तीन) यदि आवेदक, विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है:

परन्तु यह कि खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त किया जा सकता है और सुनवाई हेतु नियत दिनांक की नोटिस विरोधी पक्षकार को तामील करके उक्त आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर समुचित कारण दर्शाये जाने पर आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है।

(6) कार्यवाहियां अभिलिखित किया जाना-प्राधिकारी-

(एक) समस्त मामलों में, प्रपत्र-छः में उपदर्शित विवरण अंकित करेगा एवं आदेश पारित करते समय, प्रपत्र पर दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित करेगा;

(दो) ऐसे मामले में जहाँ कोई अपील निहित न हो वहां अग्रतर कोई अभिलेख आवश्यक नहीं होगा;

(तीन) ऐसे मामले में जहाँ कोई अपील निहित न हो, प्राधिकारी साक्ष्य का सार अभिलिखित करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करके आदेश या निदेश के अभिलेख में संलग्न करेगा।

(7) सुनवाई को स्थगित किये जाने के कारणों को अभिलिखित किया जाना-यदि प्राधिकारी किसी आवेदन का निस्तारण एक सुनवाई में करने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा जिसके कारण स्थगन आवश्यक हुआ हो।

(8) प्रपत्रों पर हस्ताक्षर-आदेश या निदेश के अभिलेख से भिन्न किसी प्रपत्र, जिस पर उस नियमावली के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित हो, पर उसके निदेश से और उसकी

		ओर से, इस प्रयोजनार्थ उसके द्वारा लिखित रूप में नियुक्त उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है। (9) शक्तियों का प्रयोग-धारा 45 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकारी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनके सार को प्रभावित किये बिना, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो अपने समक्ष प्रस्तुत मामले में उन्हें अंगीकृत किये जाने हेतु, सिवाय उनके जहाँ उनका संहिता या इस नियमावली के स्पष्ट उपबंधों के साथ विरोधाभास हो, मार्गदर्शित होगा।
अपील के निस्तारण की प्रक्रिया	45	(1) अपील हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से प्रपत्र-सात में ज्ञापन पत्र में दो प्रतियों में की जायेगी जिसमें एक प्रति पर पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज करने वाले आदेश के प्रति आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप में अपास्त करते हुए विहित न्यायालय फीस और संहिता की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन कृत आवेदन उल्लिखित होंगे और उसके साथ उक्त आदेश या निदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी। (2) धारा 49 की उप धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक संधार्य नहीं होगी जब तक कि अपील ज्ञापन के साथ प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि विरोध में अपील किये गये निदेश के अधीन संदेय धनराशि जमा कर दिया है। (3) जब कोई अपील दायर की जाती है तो प्रत्यर्थी को प्रपत्र-आठ में एक नोटिस जारी की जायेगी। (4) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी अग्रतर जाँच, यदि कोई हो, के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश या निदेश, जिसके लिये अपील की गयी हो, की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है एवं तदनुसार आदेश देगा। (5) प्राधिकारी, मामले की सुनवाई किये जाने के पश्चात् आदेश या निदेश या तो तुरन्त या तत्पश्चात्, यथासाध्य शीघ्र, किसी आगामी दिवस में देगा और जब आदेश या निदेश किसी भावी दिवस में किया जाना हो तो वह दिनांक निर्धारित करेगा जिसके प्रयोजनार्थ पक्षकारों

		या उनके अभिवक्ताओं को सम्यक नोटिस दिया जायेगा। (6) यथास्थिति कोई नियोजित व्यक्ति या कोई नियोजक या उसका प्रतिनिधि या धारा 45 की उप- धारा (5) के अधीन या धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति, जिसने निदेश के लिये आवेदन किया हो या कोई अपील किया हो, ऐसे मामले में जिसमें वह पक्षकार हो, यथास्थिति प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के पास दाखिल कृत किसी आवेदन, अपील ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज को अवलोकन करने हेतु हकदार होगा, और प्रति पृष्ठ रूपया दो मात्र का कोर्ट-फीस स्टाम्प के माध्यम से फीस का संदाय करने पर उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है।

अध्याय-8
निरीक्षण एवं निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

धारा-51 की उपधारा-(2) के अधीन निरीक्षण स्कीम	46	(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से संहिता के अधीन आच्छादित अधिष्ठानों के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण स्कीम लागू की जायेगी। (2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश निरीक्षण स्कीम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा इस सन्दर्भ में कोई भी आदेश- निदेश जारी कर सकेंगे।
धारा- 51 की उपधारा-(6) के खण्ड- (ड़) के अधीन निरीक्षण-सह-सुविधाप्रदाता की शक्तियाँ	47	धारा 51 की उपधारा (एक) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा: (क) ऐसे सभी उचित समय पर, ऐसे सहायकों (यदि कोई हो), जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की सेवा में हों, जैसा वह उचित समझे, के साथ किसी भी ऐसे परिसर अथवा स्थान जहां कर्मचारी नियोजित हैं अथवा कार्य को वाह्य श्रमिकों को दिया गया है, चाहे वह अति-कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल अथवा अकुशल व्यवसाय के कार्य कर रहे हों, जिसके सन्दर्भ में संहिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरें नियत किया गया हो, किसी रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों जिसे संहिता अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रखा जाना अथवा प्रदर्शित की जाना अभीष्ट हो, के परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे अभिलेखों एवं सूचनाओं को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा। (ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा, जिसे वह ऐसे

किसी परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह व्यक्ति वहाँ नियोजित कर्मचारी है अथवा वह कोई ऐसा कर्मचारी है जिसे वहां काम दिया जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति जो बाह्य कार्य और बाह्य श्रमिकों से देता है, से उन व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में किसी सूचना को, जिसे दिया जाना उसकी शक्ति में है, जिनके लिये और जिनके माध्यम से वाह्य कार्य दिया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है, तथा ऐसे कार्यों के लिए किये जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में, उपलब्ध कराये जाने की मांग करना।

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों अथवा उनके किन्हीं भागों की प्रतियाँ प्राप्त अथवा जब्त करना, जैसा कि वह इस संहिता के अधनी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे जिनके सन्दर्भ में उसके पास यह विश्वास करने के कारण करते हों कि नियोक्ता द्वारा अपराध को कारित किया गया है।

(घ) किसी कारखाने, उद्योग अथवा किसी अन्य अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मजदूरी का पर्यवेक्षण करना।

(ड़) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस संहिता के अधीन आवर्त किसी शिकायत या प्रक्रिया अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों के निवर्हन में, अभियोजन प्रस्तुत करने, संचालन करना, अथवा बचाव करना तथा ऐसे साक्ष्य सुरक्षित रखना, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, ।

(च) किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक अथवा अधिष्ठान से संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से शिकायत प्राप्त होने पर, इस तथ्य के रहते हुए भी कि, धारा 51 की उपधारा- (2) के अनुसार तैयार की गई कोई निरीक्षण योजना है, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की लिखित पूर्वानुमोदन से अधिष्ठान का पूर्ण निरीक्षण करेगा तथा यथावश्यक कितनी ही बार अधिष्ठान में जाएगा:

परंतु यह कि, यदि जबकि शिकायत विधि के अधीन स्थापित किसी आयोग (उदाहरणार्थ-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग इत्यादि) से प्राप्त हो अथवा शिकायत बाल श्रमिकों और/अथवा बन्धुआ श्रमिकों के नियोजन से संबंधित हो अथवा यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिष्ठान में कोई संघातक दुर्घटना घटित हुई है, तो निरीक्षण क्षेत्रीय अपर/ उप श्रमायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया एवं ऐसे निरीक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

		से 72 घण्टे के अन्दर प्राप्त की जायेगी। (छ) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधादाता भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) के प्रयोजनों के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा। (ज) कोई व्यक्ति, जिससे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उपनियम (क) से उपनियम (ड़) के अधीन किसी ऐसे अभिलेख अथवा साक्ष्य अथवा किसी सूचना को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है, वह ऐसा करने के लिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा- 210 एवं धारा-211 के अर्थ में विधिक रूप से बाध्य होगा।

अध्याय- नौ
अपराध और शास्तियाँ

धारा 53 की उपधारा-1)) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकारी की नियुक्ति	48	राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से, न्यूनतम पे-मैट्रिक्स 11 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अवर सचिव अथवा उप श्रमायुक्त की रैंक से अन्यून राजपत्रित अधिकारी को उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर यथास्थिति धारा 54 की उपधारा- (1) के खण्ड (क) तथा खण्ड (ग) तथा उपाधारा- (2) तथा धारा 56 की उपधारा-(7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ, इन नियमावली के अधीन नियम-49 तथा नियम-50 में यथाविहित मामलों में जांच करने हेतु नियुक्त करेगी।
धारा 53 की उपधारा1)) के अधीन जांच करने की रीति	49	(1) धारा 48 के अधीन जब धारा 53 की उपधारा- (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशमनकर्ता अधिकारी कहा गया है) के समक्ष, उक्त उपधारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीड़ित कर्मचारी अथवा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता व्यवसाय संघ अथवा किसी निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दाखिल की जाती है, एवं शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात अधिकारी की यह राय है कि अपराध किया गया है तो वह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तिथि का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करेगा। (2) यदि अपराधी, जिसे उपनियम-(1) के अधीन समन जारी किया गया है, उपस्थित होता है अथवा अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो वह उसे उसके विरुद्ध शिकायत किए

		गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबन्धों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा का उपलब्ध कराएगा। अधिकारी अपराधी को गवाहों के लिखित में प्रतिपरीक्षा में और शपथ पर गवाहों के बयान अभिलिखित करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेगा। (3) अधिकारी शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति को बचाव का अवसर देगा और दोषी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की प्रति परीक्षा की जायेगी तथा बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। (4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करके के पश्चात संहिता के अपबंधों के अनुसार शिकायत पर विनिश्चय करेगा।
धारा 56 की उपधारा-1)) के अधीन जुर्माना लगाने की रीति	50	(1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा- (1) के अधीन अपराध का प्रशमन चाहता है तो वह उक्त नियम-49 के अधीन अधिसूचित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी को इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र-10 में इलेक्ट्रॉनिक रीति से अथवा भौतिक रूप से आवेदन कर सकता है। (2) उपनियम-(1) में संदर्भित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन प्रशमन योग्य है या नहीं और यदि अपराध प्रशमन योग्य है तो वह प्रपत्र-11 में एक नोटिस प्रेषित करेगा तथा यदि दोषी व्यक्ति प्रशमन के लिए सहमत हो जाता है, तो संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध का समझौता करेगा, जिसका भुगतानऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रशमन आदेश में विनिर्दिष्ट समय सीमा में दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा। (3) यदि अपराध का समझौता उपनियम (2) के अधीन अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात किया जाता है तो प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये या सक्षम न्यायालय जिसमें अभियोजन लंबित हो, को सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने के पश्चात अधिकारी या न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन बंद कर देगा। (4) प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार के

		निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अधीन अपराध प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा

अध्याय- दस
प्रकीर्ण

मजदूरी का समय पर संदाय किया जाना	51	जहाँ कर्मचारी किसी अधिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हों वहाँ उक्त कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उस अधिष्ठान का स्वत्वधारी हो, यथास्थिति व्यक्ति या कम्पनी के लिये संदेय धनराशि का भुगतान, मजदूरी भुगतान किये जाने के दिनांक के पूर्व, ठेकेदार को करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके। स्पष्टीकरणः-इस नियम के प्रयोजनार्थ पद "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन 1932) में समनुदेशित है।
धारा-26 के अधीन न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व	52	जहाँ किसी अधिष्ठान में कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जायें और ठेकेदार धारा-26 के अधीन उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में विफल हो वहाँ, कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों, जिनके कर्मचारी सदस्य हों, के कर्मचारियों द्वारा ऐसी विफलता के सम्बन्ध में लिखित सूचना दिये जाने पर तथा ऐसी विफलता की पुष्टि किये जाने पर कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा तथा ऐसी धनराशि की वसूली ठेकेदार से कर सकेगा।
धारा 50 की उपधारा-(2) के अधीन नियोजकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें	53	(1) धारा 50 की उपधारा-(2) के प्रयोजनार्थ, सभी नियोजक तथा मुख्य नियोजक यह सुनिश्चित करेंगें कि अधिष्ठान की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वारों पर प्रदर्शित की जाने वाली सभी सूचनाओं की सामग्री प्रमुखता के साथ प्रदर्शित की जाये। (2) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसी भाषा में होंगी जो अधिष्ठान की उस इकाई में नियोजित श्रमिकों में से अधिकाँश द्वारा समझ ली जाये। (3) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसे आकार में प्रदर्शित की जायेंगीं जिससे सामान्य दृष्टि वाला कोई व्यक्ति सहज रूप से कम से कम दस मीटर की दूरी से प्रदर्शित सामग्री को पढ़ सके। (4) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें सभी दिवसों पर तथा

		सभी समय पर प्रदर्शित होंगी। (5) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं की अनुसूची- (क) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी दर (ख) विश्राम का साप्ताहिक दिवस (ग) सवेतन विश्राम दिवस (घ) कार्य के घण्टे (ड) अतिकाल का भुगतान (च) किसी सप्ताह में कराया जा सकने वाले कार्य के अधिकतम घण्टे (छ) अनुसूचित अन्तराल (ज) मजदूरी भुगतान का समय एवं तिथि (झ) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का विवरण (ञ) धारा-45 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का विवरण (ट) मजदूरी अवधि (ठ) इस नियमावली के अधीन यथाविहित ऐसी अन्य सूचनाएं
वार्षिक विवरणी	54	(1) इस नियमावली के अधीन विवरणी (रिटर्न), अधिष्ठान के प्रत्येक नियोजक द्वारा, जिस पर यह संहिता लागू होती है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन बनाए गए नियमों में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र के सुसंगत सतम्भो में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी (2) ऐसी विवरणी की एक प्रति श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by Shanmuga Sundaram
Date: 28-02-2026 21:29:55

(डॉ० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

संख्याः- 426 (1)/36-3-2026-1901341 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रतिलिपिः- अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 10 मार्च,2026 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 25 मुद्रित प्रतियां श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली को श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आफाक अहमद)
उप सचिव।

फॉर्म-I

[नियम-17 (6), नियम-19 (3) और नियम-20 देखें]

मजदूरी, ओवरटाइम, जुर्माना, क्षति और हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम (Name of Establishment): _____

नियोक्ता का नाम (Name of Employer): _____

मालिक का नाम (Name of Owner): _____

नियोक्ता का PAN/TAN: _____

श्रम पहचान संख्या (LIN): _____

कर्मचारी रजिस्टर में क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि	मजदूरी की अवधि (कब से-तक)	कुल कार्य दिवस	कुल ओवरटाइम	मजदूरी की दर		अन्य भत्ते
							मूल वेतन	महंगाई भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओवरटाइम कमाई	चूकों की प्रकृति जुर्माना तिथि	जुर्माने की राशि	क्षति या हानि का विवरण	कटौती/ वसूली की राशि	कुल भुगतान की गई मजदूरी	भुगतान की तिथि	उपस्थिति	
							तिथि	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

फॉर्म - II

[उप-नियम (2) नियम 40 देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम: _____ **नियोक्ता का नाम:** _____

मालिक का नाम: _____ **नियोक्ता का PAN/TAN:** _____

श्रम पहचान संख्या (LIN): _____

क्र. सं.	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता/ पति का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदनाम	श्रेणी (HS/ S/ SS/ US)*	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल नंबर	UAN	PAN	ESIC IP नंबर	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा (IFSC)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सर्विस बुक नंबर	कार्य छोड़ने की तिथि	निकास का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान	टिप्पणी
24	25	26	27	28	29	30

फॉर्म-III

[नियम-43 देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत एकल आवेदन

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष
क्षेत्र (AREA): _____ के लिए
आवेदन संख्या: _____ वर्ष 20_____

ABC और (संख्या बताएं) _____ अन्य के बीच: ..... आवेदक
(संबंधित कर्मचारियों या पंजीकृत ट्रेड यूनियन या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के माध्यम से)
पता: _____

बनाम

XYZ: _____
पता: _____

आवेदन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं:

(1) आवेदक, जिनका नाम संलग्न अनुसूची (Schedule) में है, श्री/मेसर्स _____ (नियोक्ता का नाम) के _____ (प्रतिष्ठान) में दिनांक _____ से _____ तक _____ (श्रेणी) के रूप में कार्यरत थे/हैं और _____ (कार्य की प्रकृति) में लगे हुए थे, जो मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत आता है।

(2) विपक्षी, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2(1) के अर्थ के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं।

(3)

(क) आवेदक(कों) को संहिता के तहत उनके रोजगार की श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से ₹_____ प्रति दिन की कम दर से दिनांक _____ से _____ तक की अवधि के लिए मजदूरी दी गई है।

(ख) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक के साप्ताहिक विश्राम के दिनों के लिए ₹_____ प्रति दिन की दर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि के लिए ओवरटाइम दर(रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है

(ङ) मजदूरी से ऐसी कटौतियां की गई हैं जो संहिता के उल्लंघन में हैं, जिसका विवरण इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध (Annexure) में दिया गया है।

(च) आवेदक(कों) को लेखा वर्ष _____ के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक(कों) द्वारा मांगी गई राहत का अनुमानित मूल्य प्रत्येक मद में निम्नानुसार है:

(क) ₹_____

(ख) ₹_____

(ग) ₹_____

कुल योग: ₹_____

(5) (5) अतः, आवेदक प्रार्थना करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के तहत निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाए:

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर का भुगतान,

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान,

(ग) ओवरटाइम दरों पर मज़दूरी का भुगतान,

(घ) विलंबित मजदूरी का भुगतान,

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों का भुगतान,

(च) अदत्त (Unpaid) बोनस का भुगतान,

(छ) ₹_____ की राशि का मुआवजा।

(6) आवेदक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करते हैं कि इस आवेदन में बताए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक: _____

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान,
या विधिवत अधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी
या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता।

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: _____

नोट: यदि आवश्यक हो, तो आवेदक इस आवेदन के साथ विवरण वाले अनुबंध (Annexures) संलग्न कर सकता/सकते हैं।

फॉर्म-IV

[नियम 44 का उप-नियम (1) देखें]

प्राधिकरण प्रमाणपत्र

मैं/हम नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) एतद्द्वारा **श्री/श्रीमती/कुमारी** _____, जो कि एक कानूनी व्यवसायी (वकील) हैं / **श्री/श्रीमती/कुमारी** _____, जो _____ (पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम) के पदाधिकारी हैं, को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 और धारा 49 के तहत मेरी/हमारी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं।

यह अधिकार _____ (विपक्षी/नियोक्ता का नाम) के विरुद्ध दावे/अपील के संबंध में है, जो संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर / विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान / ओवरटाइम दरों पर मजदूरी के भुगतान / भुगतान में देरी / मेरी-हमारी मजदूरी से अवैध कटौती / _____ (अवधि) के बोनस का भुगतान न करने के कारण है।

साक्षी (Witnesses): हस्ताक्षर (Signatures):

1-

2-

3-

4-

दिनांक: _____

स्थान: _____

मैं इस प्राधिकरण को स्वीकार करता हूँ।

अधिकृत व्यक्ति/ कानूनी व्यवसायी/
पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
(सील सहित)।

फॉर्म-V

[नियम 44 के उप-नियम (5) का खंड (i) देखें]

आवेदन के निपटान हेतु नोटिस

चूंकि, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के तहत आपके विरुद्ध एक दावा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है; आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, जिसे विधिवत निर्देश दिए गए हों और जो आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, दिनांक ..... माह ..... 20.... को ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न (सुबह/शाम) दावे का उत्तर देने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हों;

और, चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत किया गया दिन दावा आवेदन के अंतिम निपटान के लिए निर्धारित है, इसलिए आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य पर, और उन दस्तावेजों को जिनके आधार पर आप अपने बचाव में भरोसा करना चाहते हैं।

यह ध्यान रखें कि, यदि आप ऊपर बताए गए दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो दावा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... 20... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

प्राधिकारी

मुहर

फॉर्म-VI

[नियम 44 के उप-नियम (6) का खंड (i) देखें]

आदेश या निर्देश का रिकॉर्ड

क्रम संख्या: .....

आवेदन की तिथि: .....

आवेदक का नाम (या नाम), पिता का नाम, पता या एक ही अदत्त समूह से संबंधित कुछ या सभी आवेदकों के पते:

_____

नियोक्ता का नाम और पता: _____

दावा की गई राशि (Amount Claimed):

(क) इस संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप में: ₹ .....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप में: ₹ .....

(छ) मुआवजे की कुल राशि: ₹ .....

नियोक्ता का तर्क और उसका परीक्षण (यदि कोई हो): _____

निष्कर्ष, और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण: _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशि:

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप में: ₹ .....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप में: ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप में: ₹ .....

स्वीकृत मुआवजा: .....

निर्धारित लागत:

(क) न्यायालय शुल्क: .....

(ख) वकील की फीस: .....

(ग) गवाहों का खर्च: .....

वह तिथि जिस तक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा: .....

दिनांक: _____

प्राधिकारी

नोट: जिस मामले में अपील की गुंजाइश हो, वहां साक्ष्य (Evidence) का सार एक अलग शीट पर संलग्न करें।

फॉर्म-VII

[नियम 45 के उप-नियम (1) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49(1) के तहत अपील

मजदूरी संहिता, 2019 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

A.B.C

पता: _____ अपीलकर्ता

बनाम

C.D.E.

पता: _____ प्रत्यर्थी/विपक्षी

_____

अपील का विवरण:

1: उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

संख्या और दिनांक: _____

प्राधिकारी जिसने विवादित आदेश पारित किया है: _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशि: _____

निर्धारित मुआवजा (यदि कोई हो): _____

2. मामले के तथ्य:

(यहाँ कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य होना चाहिए)

3. अपील के आधार:

4. मामले जो पहले किसी अन्य न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के पास दायर नहीं किए गए या लंबित नहीं हैं:

अपीलकर्ता आगे घोषित करता है कि उसने उस मामले के संबंध में, जिसके लिए यह अपील की गई है, पहले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष न तो कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर किया है, और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत:

ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करता है:-

[नीचे मांगी गई राहत (राहतों) को निर्दिष्ट करें]

6. संलग्नकों की सूची:

दिनांक: _____

स्थान: _____

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

मोबाइल नंबर और

ईमेल आईडी: _____

कार्यालय उपयोग के लिए

दायर करने की तिथि: _____

या डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि: _____

पंजीकरण संख्या: _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फॉर्म – VIII

[नियम-45 के उप-नियम (3) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 के तहत अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन का प्रत्यर्थी (विपक्षी) को नोटिस

..... क्षेत्र के प्राधिकारी के दिनांक ..... माह ..... 20.... के निर्णय के विरुद्ध अपील

सेवा में,

.....

..... (प्रत्यर्थी/विपक्षी)

आपको सूचित किया जाता है कि ..... क्षेत्र के प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध एक अपील, जिसकी प्रति संलग्न है, ... X,Y.Z. (और अन्य) द्वारा प्रस्तुत की गई है और इस कार्यालय में पंजीकृत की गई है। इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के लिए ..... तारीख ..... माह 20... का दिन निर्धारित किया गया है।

यदि आपकी ओर से आप स्वयं, या कानून द्वारा आपके लिए कार्य करने हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति इस अपील में उपस्थित नहीं होता है, तो इस पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... माह ..... 20.. को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

मुहर

अपीलीय प्राधिकारी

फॉर्म – IX

[नियम 42 देखें]

वेतन पर्ची

जारी करने की तिथि: _____

प्रतिष्ठान का नाम: _____

पता: _____

अवधि : _____

कर्मचारी का नाम: _____

पिता/पति का नाम: _____

पदनाम (Designation): _____

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर): _____

बैंक खाता संख्या: _____

वेतन अवधि: _____

देय मजदूरी की दर :

(क) मूल वेतन: _____

(ख) महंगाई भत्ता: _____

(ग) अन्य भत्ते: _____

कुल उपस्थिति / कार्य की इकाई: _____

ओवरटाइम मजदूरी: _____

देय सकल मजदूरी: _____

कुल कटौतियां:

(क) PF: _____

(ख) ESI: _____

(ग) अन्य: _____

भुगतान की गई शुद्ध मजदूरी: _____

नियोक्ता /

भुगतान प्रभारी के हस्ताक्षर

फॉर्म - **X**

[नियम-50 के उप-नियम (1) देखें]

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के समझौते के लिए नियोक्ता का आवेदन

सेवा में,

उपशमन अधिकारी,

अपर/उप श्रम आयुक्त का कार्यालय,

क्षेत्र: .....

दिनांक: .....

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं/हम ..... , मेसर्स ..... (पता: .....) का नियोक्ता, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत अपराध का समझौता करने का इच्छुक हूँ/हैं। मैंने/हमने संहिता के तहत निम्नलिखित अपराध किए हैं/किए थे:

.....

.....

.....

उपरोक्त उल्लंघनों के लिए अभियोजन—

* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया है।
* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध ..... के न्यायालय में दायर किया गया है।

दायर किए गए अभियोजन का विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण/शिकायत की तिथि: .....

मामला संख्या और अभियोजन दायर करने की तिथि: .....

धारा(एँ) और नियम जिनका उल्लंघन पाया गया: .....

अभियोजन दायर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम: .....

क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लंबित है या नहीं: .....

क्या यह पहला अपराध है, या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है? यदि हाँ, तो पिछले अपराध का पूरा ... ...

विवरण:.....

.....

कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है:.....

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे निर्देश दें या मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उप-धारा (1) के अनुसार उपशमन राशि जमा करने की अनुमति दें। समझौता अधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह धारा 52 के तहत संक्षम न्यायालय और/या धारा 53 के तहत जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत अधिकारी को सूचित करें।

दिनांक: _____

स्थान: _____

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर: _____

प्रतिष्ठान का नाम: _____

प्रतिष्ठान का पता: _____

** जो लागू न हो उसे काट दें।*

फॉर्म-XI

[नियम-50 के उप-नियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के उपशमन हेतु उपशमन अधिकारी द्वारा उल्लंघनकर्ता नियोक्ता को नोटिस

नोटिस

सेवा में,

..... (नियोक्ता का नाम)

मेसर्स .....

..... (पता)

कृपया आपके/आपकी कंपनी/प्रतिष्ठान द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 29) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराध (अपराधों) के उपशमन के संबंध में आपके दिनांक ..... के आवेदन का संदर्भ लें;

चूँकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के समझौते के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध मजदूरी संहिता, 2019 की धारा (धाराओं) ..... के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की गई और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) ..... के तहत उल्लंघन उपशमन योग्य हैं, जबकि धारा (धाराओं) ..... के तहत अपराधों का समझौता मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत नीचे दिए गए कारणों से नहीं किया जा सकता है—

.....

.....

अपराधों के समझौते के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली समझौता राशि ..... रुपये है। इस नोटिस के माध्यम से, आपको अपराध (अपराधों) के समझौते के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त समझौता राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आपके विरुद्ध संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा (धाराओं) ..... के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे;

आपको एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त समझौता राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 56 की उप-धारा (7) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस आज दिनांक ..... माह ....., 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है।

समझौता अधिकारी
मुहर

फॉर्म-XI
[नियम-50 के उप-नियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के समझौते हेतु समझौता अधिकारी द्वारा उल्लंघनकर्ता नियोक्ता को नोटिस

नोटिस

सेवा में,
..... (नियोक्ता का नाम)
मेसर्स .....
..... (पता)

कृपया आपके/आपकी कंपनी/प्रतिष्ठान द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 29) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराध (अपराधों) के समझौते के संबंध में आपके दिनांक ..... के आवेदन का संदर्भ लें;

चूँकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध मजदूरी संहिता, 2019 की धारा (धाराओं) ..... के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की गई और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) ..... के तहत उल्लंघन समझौते योग्य हैं, जबकि धारा (धाराओं) ..... के तहत अपराधों का समझौता मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत नीचे दिए गए कारणों से नहीं किया जा सकता है—

.....
.....

अपराधों के समझौते के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली समझौता राशि ..... रुपये है।

इस नोटिस के माध्यम से, आपको अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आपके विरुद्ध संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा (धाराओं) ..... के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे;

आपको एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 56 की उप-धारा (7) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस आज दिनांक ..... माह ....., 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है।

उपशमन अधिकारी

मुहर

UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.----426------ /XXXVI-03-2026-1901341, dated 10 March, 2026.

Notification

No.----426------/XXXVI-03-2026-1901341

Lucknow, Dated 10 March 2026

WHEREAS to the subsequent enactment of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) draft Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021 which was published in the official Gazette vide notification no. 1505/XXXVI-3-2020-103(Sa)-2020 dated February 25, 2021 inviting objections and suggestion thereon as required under section 67 of the aforesaid Code.

AND HEREAS, after considering objections and suggestions received in respect of the aforesaid rules, the final Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021 were published in the official Gazette vide Notification no. 1738/XXXVI-3-2021-103(Sa)-2020, dated September 16, 2021 but the said rules were not brought into force, as the Code on Wages, 2019 was not operational at that time;

AND WHEREAS, vide Notification no. S.O. 5322(E) dated 21 November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II section 3, sub section (ii) all the provisions of the said code have been brought into force;

so it has been decided to pre-publish the draft rules, 2026 to attain objections and suggestions from all persons likely to be affected.

AND WHEREAS after commencement of the aforesaid Code the Central Government has published a new draft of the Code on Wages Rules, 2025 vide notification no G.S.R. 936(E) dated 30th December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section-3 Sub-Section(i);

AND WHEREAS upon the operationalisation of Code on Wages, 2019 and publication of the draft of the Code on Wages (Central) Rules, 2025 by the Government of India, it has become necessary for the State Government

to frame, publish, finalise and notify the corresponding rules in the State of Uttar Pradesh afresh in order to ensure consistency with the operational framework of the aforesaid and Central Rules, 2025.

NOW, THEREFORE the following draft Rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of the

(a) Uttar Pradesh Payment of Wages Rules, 1936;

(b) Uttar Pradesh Minimum Wages Rules, 1952;

(c) Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 for information of all persons likely to be affected thereby and with a view to invite objections and suggestions in respect there of;

All objections and suggestions with respect to the aforesaid draft rules shall be sent in duplicate addressed to a Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001 and Labour commissioner, (Shram Sudhar Prakostha) Office at G.T. Road, Kanpur.

Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this Notification will be taken into consideration.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH CODE ON WAGES RULES, 2026

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement	1	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Wages rules, 2026. (2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh. (3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

Definitions	**2**	(1) In these Rules, unless the subject or context otherwise requires, — (a) "Authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 19 and sub-section (1) of section 45 (b) "Appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub section (1) of section 49; (c) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49 (d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of section 42; **(e)** "Chairperson" means the Chairperson of the Board (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) (g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8; (h) "Day" means a period of 24 hours beginning at mid-night (i) Family" means all or any of the following relatives of an employee namely: — (i) a spouse; (ii) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee; (iii) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee, and who is (a) receiving education, till he attains the age of twenty-one years; and

(b) an unmarried daughter;

(iv) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(v) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of the spouse), whose income from all sources does not exceed such income as may be specified by the State Government from time to time;

(j) "Form" means a form appended to these Rules;

(k) "Geographical area" means the areas notified as such by the State Government from time to time;

(l) "Highly Skilled Occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(m) "Inspector-*cum*-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(n) "Member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(o) "Officer" means an officer appointed by the State Government under sub section (1) of Section 53;

(p) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(q) "Registered Trade Union" means a trade union registered under Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020);

(r) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(s) "Section" means a Section of the Code;

(t) "Semi-Skilled Occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(u) "Skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(v) "Unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no

		further skills. (2.) Words and expressions used herein in these Rules and not defined but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II
MINIMUM WAGES

Manner of calculating the rate of wages per hour and per month under sub-section (5) of section 6	3	(1) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored. (2) In case of a five day working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.
Criteria for fixing the minimum rate of wages under clause (c) sub-section (6) of section 6	4	For the purposes of sub-section (6) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:- (a) the standard working-class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee; an equivalent of three adult consumption units; (b) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit. (c) 66 meters cloth per year per standard working class family; (d) housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing expenditure;

		(e) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; (f) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage.
Norms of fixation of minimum rate of wages and the arduousness of work to be considered under	5	(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the followings: (i) geographical area ; (ii) experience in the area of employment; and (iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled: Provided that the State Government shall not fix minimum wages and allowances of State Government employees under this Code. (2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:- (a) Labour Commissioner, Uttar Pradesh - Chairperson; (b) Director, Employment – Member; (c) Mission Director, Uttar Pradesh Skill Development Mission or his representative - Member; (d) Commissioner and Director, Industries,

sub-section (6) of section 6		Uttar Pradesh or his representative - Member; (e) Director of Factories – Member; (f) Additional/ Deputy Labour Commissioner, UP (Enforcement) - Member; (g) Additional/ Deputy Labour Commissioner, UP (Industrial Relations) – Member Secretary; (h) Two technical experts in wage determination as nominated by the State Government - Members; (i) Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development - Members; (3) The State Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification amend the Schedule-A in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, inserting or omitting, any entry in respect of occupations specified in the said Schedule. (4) The technical committee referred in sub-rule (2) while advising the State Government, shall take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification framework or other similar frame work for the time being formulated by Central Government to identify occupations.
Interval for revision of variable dearness allowance under clause (a) of sub-section (1) of Section 7	6	The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment,

		Government of India.
Constitution of Committees to fix and revise minimum wages for the purpose of section 8	7	(1) The State Government shall constitute one or more committees for the purpose to fix minimum wages for the first time in any category or to revise minimum wages or to enquire about skill categorization to advise the State Government, which shall consist of the following members, namely:-

(i)	Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Chairperson
(ii)	Additional Labour Commissioner as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(iii)	A representative from the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttar Pradesh	Member
(iv)	Director of Employment, Government of Uttar Pradesh	Member
(v)	Two technical experts in wage determination as nominated by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vi)	Three persons representing employers as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vii)	Three persons representing employees as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(viii)	One Deputy/Assistant Labour Commissioner	Member Secretary

		nominated by Labour Commissioner (2) The committee referred in sub-rule (1) shall, while advising the State Government, take into account, to the possible extent, the state classification of occupation or state skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations. (3) The State Government on the advice of the Committee constituted under sub-rule (1) shall categorize the occupations of the employees in four categories *i.e.* unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding an entry in the categorization of such of operation specified in Schedule-A of these rules.
Circumstances under clause (ii) of the proviso to Section 10	8	An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.
Number of hours of work which shall constitute a normal working day for the purpose of sub-section (1) of section 13	9	(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day, inclusive of one or more specified intervals, shall be as per general or special order issued from time to time. (2) The period of work of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest the spread over shall not exceed the number of hours as per general or special order issued from time to time.
		(1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every

week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees:

Provided that in a six day working week or less than six-days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six-day week for a continuous period of not less than six-days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be:

Provided also that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule,–

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,

(b) any day on which an employee is laid off

	on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Act No. 35 of 2020) and (c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.
	(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or shall have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day: Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.
Determination of weekly rest day for the purpose of sub-section (1) of section 13 and payment to be made in relation to the work done on the rest day.	(3) Where in accordance with the sub-rules (1) and (2), any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs. (4) An employee shall be granted, for rest day, wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

		Provided that in case of six day week where- (a) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or (b) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and (c) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate, and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Uttar Pradesh or the Additional/ Deputy Chief Labour Commissioner having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations: Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day. *Explanation.*- For the purposes of this sub-rule 'next preceding day' means the last day

		on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day. (5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service; and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid. *Explanation.*-For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.
Determination of night shift under sub-section (1) of section 13	11	Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then- (a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 10 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.
		The extent and conditions for purposes of sub-section (2) of section 13. In case of employees- (a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented; (b) engaged in work of the nature of preparatory

The extent and conditions under sub-section (2) of section 13	12	or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned; (c) whose employment is essentially intermittent; (d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and (e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces, the number of hours of work, which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general or special order issued from time to time under rule-9.
Longer wage period under section 14	13	For the purpose of wages, the wage period shall not be more than a month.

CHAPTER III
PAYMENT OF WAGES

Manner of recovery of deductions made under sub-section (4) of section 18	14	Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.
The Authority under sub-section (1)	15	The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of

of section 19		section 19.
The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19	16	A notice referred to in sub-section (2) of Section 19 shall be displayed **in physical form or electronically in Hindi and English** at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator **and regional Additional/ Deputy Labour Commissioner** having jurisdiction, registered post or electronically within forty-eight hours.
		(1) Every employer requiring the approval to impose fines in respect of any act or omission on the part of the employed person shall send to the regional Additional/ Deputy Labour Commissioner and having jurisdiction- (a) a list, in duplicate, clearly defining such acts and omissions; (b) in cases where the employer himself does not intend to be the sole person empowered to impose fines, a list in duplicate, showing those appointments in the establishment of which the incumbents may pass orders imposing fines and the class of establishment on which the incumbent of each such appointment may impose fines. (2) The Authority mentioned in sub-rule (1), on receipt of the list may, after such enquiry as he considers necessary, pass orders either- (a) disapproving the list, (b) approving the list either in its original form or as amended by him, in which case such list shall be considered to be an approved list: Provided that no order disapproving or amending any list shall be passed unless the

		employer shall have been given an opportunity of showing cause in writing why the list, as submitted by him should be approved.
		(3) The employer shall display at the main entrance and on notice board of the establishment a copy of such approved list in English together with a literal translation in Hindi.
The procedure under sub-section (3) of section 19 to impose fine and format of register to be maintained under sub-section (8) and manner to expense the amount of fine	17	(4) No fine may be imposed by any person other than an employer or a person holding an appointment named in the list submitted under clause (b) of sub-rule (1).
		(5) Any person desiring to impose a fine on an employed person or to make a deduction for damage or loss, shall explain personally to the said person, the act or omission or damage or loss, in respect of which, the fine or deduction is proposed to be imposed and the amount of fines or deduction which is proposed to be imposed and shall take his explanation, either orally in the presence of at least one other person or in writing, as the employed person may prefer.
		(6) The person imposing a fine or directing the making of deduction for damage or loss shall without unnecessary delay inform the employer of all particulars and the employer shall maintain the details of such fines or deductions in a register as mentioned in Form-I.
		(7) The amount so accumulated, by way of all sorts of deductions, fines and realisations shall be applied only to such beneficial purposes to the persons employed in the establishment through such welfare schemes or measures, to be prepared by the employer and approved by Labour Commissioner, Uttar Pradesh or Additional Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner, having territorial jurisdiction:

		Provided that, nothing in these rules, prevents the employer to contribute any amount for these welfare measures or schemes meant for these purposes.
Manner of deduction and intimation of deduction under the proviso of sub- section (2) of section 20	18	**Manner of deduction and intimation of deduction under the proviso of sub- Section (2) of Section 20** (1) Where an employer desires to make deductions under proviso to sub-section (2) of section 20, the employer shall issue a show cause notice to employees concerned and after providing reasonable opportunities of being heard and to produce evidences to the concerned employees, shall pass a detailed order mentioning causes to impose deductions and a copy of notice issued to make deduction, explanations submitted by employees and the decision taken by the employer shall be sent to Inspector-cum-Facilitator and regional Additional/ Deputy Labour Commissioner having jurisdiction intimating, manually or electronically regarding such deduction and reason thereof, within ten days from the date of such deduction. (2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer with approval of regional Additional/ Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.
Procedure for deduction for damage or loss under sub-section	19	Any employer, desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21, from the wages of an employee– (i) shall issue a show cause notice in writing to employee personally explaining the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee;

(2) of Section 21 and entry in registers under sub-section (3)		and (ii) after providing reasonable opportunity of hearing to the employee concerned, any order making deduction under the aforesaid sub-section shall be communicated to the employee concerned at least seven days before making such deduction. (iii) The employer shall record such deductions in register as specified in Form-I.
Conditions regarding recovery of advance under section 23	20	The recovery, as the case may be of- (i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty per cent of wages of the employee subject to the celling specified in rule-14 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.
Extent of loan and deduction under section 24	21	The extent of loans granted under clause (g) of sub-section (2) of section 18 and the deductions for recovery of such loans granted for house building or other purposes approved by the Central or State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central or State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted, and the rate of interest shall be payable thereon

CHAPTER IV
STATE ADVISORY BOARD

Constitution of State Advisory Board, its	**22**	(1) The State Government shall constitute a State Advisory Board for the purpose of sub-section (4) of section 42.

Committees and sub-committees under sub-section (4) of section 42	(2) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees, as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and the independent persons of that sub-section as specified in clause (c). (3) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall not be less than twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also not be less than twelve. (4) Independent Persons referred under clause (c) of sub-section (6) of section 42, to be nominated by State Government in State Advisory Board shall consist of following: - (i) Minister for Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh – *ex-officio* Chairperson; (ii) Two nominated members of State Legislature; (iii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh; (iv) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Finance, Government of Uttar Pradesh; (v) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Industries, Government of Uttar Pradesh. (vi) Two members having expertise on wage and labour related matters; (5) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be Member-Secretary of State Advisory Board.

		(6) The State Advisory Board may constitute one or more Committees or sub-committees in accordance with sub-section (6) of section 42. The Chairperson of the Committees and sub-committees, formed by the Board shall be appointed by the Board and the so chairperson, shall be a member from the independent members of the Board. (7) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one third of the total members of the Board and minimum one third of the members of the Board shall be women.
Meeting of the Board, Committees and sub-committees under sub-section (10) of section 42	**23**	The Chairperson of the Board or Committees or sub-committees constituted by Board, as the case may be, may, subject to the provisions of rule 22 call a meeting of the Board at any time he thinks fit: Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of receipt of such requisition.
Notice of meetings of the Board, Committees and sub-committees	**24**	The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting: Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.
Functions of the Chairperson	**25**	The Chairperson shall- (i) preside at the meetings of the Board: Provided that in the absence of the

		Chairperson at any meeting, the Chairperson shall nominate a person, amongst the members of the Board, to preside at such meeting; (ii) decide agenda of each meeting of the Board; (iii) wherein the meeting of the Board, if any, issue must be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.
Quorum	**26**	No business shall be transacted in a meeting if at least one-third of the members and at least one member each from employers and employees are present in a meeting: Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn such a meeting for maximum seven days and in the adjourn it shall be lawful to transact the business even if the members attending the meeting for short of the Quorum: Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.
Disposal of business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board	**27**	All business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be considered at a meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote: Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing

		written opinion of the members: Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.
Method of voting	**28**	Voting in the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.
Proceedings of the meeting	**29**	(1) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board showing *inter alia* the names of the members present there at shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting. (2) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.
Summoning of witnesses and production of documents	**30**	(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document. (2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

Term of office of members of the Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board under sub-section (2) of Section 42	31	(1) The term of office of a nominated member of the Board or the Chairperson of any committee or sub-committee, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) of section 42. (2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated. (3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members. (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board, shall hold office during the pleasure of the State Government.
Travelling allowance	32	The Chairperson and the non-official members of the State Advisory Board, Committees and sub-committees, shall be entitled to draw travelling, daily and halting allowances for any journey performed by them in connection with their duties at such rates as are admissible to lowest of Group-A officers of the State Government.
Officers and Staff	33	The State Government may, apart from Member-Secretary of the Board, appoint a Secretary to the Board and one or more secretaries to Committees and sub-committees of the Board not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh and other officers and staff to the Board, Committees and sub-Committees, as it may think necessary for the functioning of the Board Committees and sub-Committees.
Resignation of	34	(1) A nominated member of the Board, other than

the Chairperson and other members of the Board, Committees and sub-committees		the Chairperson, Committees and sub-committees, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson, may resign by a letter addressed to the State Government. (2) A resignation shall take effect from the date of Communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier. (3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secreatary shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.
Cessation of membership	**35**	If a member of the Board, Committees and sub-committees fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.
Disqualification	**36**	(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the State Advisory Board – (i) If he is declared to be of unsound mind by a competent Court; or (ii) If he is an un-discharged insolvent; or (iii) If before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude. (2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER V
PAYMENT OF UNDISBURSED DUES, CLAIMS ETC.

Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44	37	(a) Every employee shall make a declaration in Form-XII, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made. (b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family: Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid: Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid. (c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee. (d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.
		(1) Where any amount payable to an employee under this Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be

Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44	38	deposited by the employer with the Additional/ Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person, the Additional/ Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department. (2) Where any amount payable to an employee under this Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction through Demand Draft or electronic transfer before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of three months.
		(1)_ The amount referred to in Rule 37 and 38 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a nationalized bank. (2) The Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and a copy of such

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44	39	information shall be sent to the employer as well, through manually and electronically both and the same shall be published in two local newspapers having maximum circulation. This notice shall also be displayed on the web-site of Labour Commissioner, Uttar Pradesh through a separate link meant for this purpose: Provided that the expenses against the publication of notices in local newspapers shall be borne by the State Government. (3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Regional Additional/Deputy Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person or legal heirs, the Additional/ Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department. (4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of two years, the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction, shall transfer the amount, with interest, if any, to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965(Act No. 14 of 1965). (5) The amount so transferred to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund in accordance with sub-rule (4), shall be administered by the provisions of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act No. 14 of 1965) and rules made thereafter.

CHAPTER VI
FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Registers to be maintained by employers	**40**	Every employer to whom Code on Wages, 2019 applies shall maintain following registers- (i) mentioning the details of wages, overtime, fines, various deduction made in accordance with the Code in Form-I; (ii) as per the provisions of sub-section (1) of section 50 of the Code in Form-II; (iii) nomination form as per the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 44 of the Code in Form-XII; (iv) all the registers shall be maintained in physical format or in a digital format electronically; (v) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of 5 years after the date of the last entry made therein;
Various Forms to be used for the purposes of these rules	**41**	(1) Forms appended to these rules and mentioned in the table below shall be used for the various provisions of these rules-

Form No.	Related Rules	Particulars of Form
III	Rule 43	Single application under sub-section (5) of section 45
IV	Rule 44 (1)	Certificate of Authorization
V	Rule 44 (5) (i)	Notice for the disposal of application
VI	Rule 44 (6) (i)	Record of order of direction
VII	Rule 45 (1)	Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019
VIII	Rule 45 (3)	Notice to respondent of the day fixed for the hearing of the appeal under section 49 of the Code on Wages, 2019
IX	Rule 42	Wage slip

		X	Rule 50 (1)	Application of employer for compounding the offences under sub-section (4) of section 56 of the Code
		XI	Rule 50 (2)	Notice to offending employer by Compounding Officer for compounding the offences under sub-section (1) of section 56 of the Code
		XII	Rule 37 (a)	Nomination form as per the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 44
		(2) The Authority referred to in sub-section (8) of section 19 shall be Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.		
Wage slip	42	Every employer shall issue wage slips, electronically or physically to the employees in Form-IX on or before payment of wages.		

CHAPTER VII
PROCEDURE FOR DISPOSAL OF CLAIM APPLICATIONS AND APPEALS

Application form for claim before authority	43	An employee or any number of employees or persons as mentioned in sub- section (4) of section 45, may file an application for claims before the authority as notified under sub-section (1) of section 45 having jurisdiction over the area where the establishment is located, in Form-III along with documents specified in such Form either physically or electronically.
Procedure for applications filed before Authority	44	(1) The authorization to act on behalf of persons as specified under sub-section (4) of section 45 of the Code, as the case may be, shall be given by a certificate in Form-IV and shall be presented to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, hearing the application or appeal and shall form part of

record.

(2) Any person seeking the permission of the authority to act on behalf of any employed person or persons shall present to the Authority, a brief written statement explaining his interest in the matter and Authority shall record an order on the statement giving reasons in this case of refusal and shall incorporate the same in the record.

(3) Applications or other documents relevant to an application may be presented in person to the Authority at any time during hours to be fixed by the Authority or may be sent to him by registered post. The Authority shall at once endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be.

(4) Refusal to entertain application-

(a) The Authority may refuse to entertain an application presented before him under sub-rule (3) of rule 41, if after giving the applicant an opportunity of being heard, the Authority is satisfied, for reason to be recorded in writing, that–

(i) the applicant is not entitled to present an application; or (ii) if the application is barred for the reason given in the proviso to sub-section (6) of section 45; or

(ii) The applicant does not disclose sufficient cause for making a direction under section 45;

(iii) The Authority may refuse to entertain an application which is insufficiently signed or stamped or otherwise incomplete and, if he so refuses, shall return it at once with an indication of the defects.

(b) If the application is presented again after the defects have been removed, the date of subsequent presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of the proviso sub-

section (6) of section 45.

(5) Appearance of parties- If the application is entertained-

(i) the Authority shall call upon the employer by a notice in Form-V to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified;

(ii) if the employer or his authorised representative fails to appear on the specified date, the Authority may proceed to hear and determine the application *ex-parte*

(iii) if the applicant fails to appear on the specified date, the Authority may dismiss the application:

Provided that an order passed under clause (b) or clause (c) may be set aside, and the application re-heard on good cause being shown within one month of the date of the said order, notice being served on opposite party of the date fixed for rehearing.

(6) Record of proceedings-The Authority shall-

(i) in all cases, enter the particulars indicated in Form-VI and at the time of passing orders shall sign and date the form;

(ii) in a case where no appeal lies, no further record shall be necessary;

(iii) in a case where an appeal lies, the Authority shall record the substance of the evidence and shall append it under his signature to the record of order or direction.

(7) Reasons for postponement of hearing to be recorded- If the Authority is unable to dispose of an application at one hearing, he shall record the reasons which necessitate postponement.

		(8) Signature of Forms- Any form other than the record of order or direction which is required by those rules to be signed by the Authority, may be signed under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose. **(9) Exercise of powers-** In exercising the powers of a Civil Court conferred by sub-section (7) of section 45, the Authority shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Authority may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provision of the Code or these rules.
Procedure for disposal of Appeal	**45**	(1) An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum in Form-VII, physically or electronically, one copy of which shall bear the prescribed Court fee, setting forth concisely the grounds of objection to the order dismissing either wholly or in part and application made under sub-section (2) of section 45 of the Code and shall be accompanied by certified copy of the said order or direction. (2) No appeal under sub-section (1) of section 49 shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the Authority to the effect that the applicant has deposited the amount payable under the direction appealed against. (3) When an appeal is lodged a notice shall be issued to the respondent in Form- VIII. (4) The Appellate Authority after hearing the parties and after such further inquiry, if any, as it may deem necessary, may confirm, vary, or set aside the order or direction from which the appeal is preferred, and shall make an order accordingly.

		(5) The Authority, after the case has been heard, shall make the order or direction either at once or, as soon thereafter as may be practicable, on some future day; and when the order or direction is to be made on some future day, it shall fix date for the purpose of which due notice shall be given to the parties or their pleaders. (6). Any employed person, or any employer or his representative, or any person permitted under sub-section (5) of section 45 or under sub-section (1) of section 49 to apply for a direction or has preferred an appeal, as the case may be, shall be entitled to inspect any application, memorandum of appeal, or any other document filed with the Authority or the Appellate Authority, as the case may be, in a case to which he is a party and may obtain copies thereof on the payment of rupees two per page through court-fee stamp.

CHAPTER VIII
INSPECTIONS AND INSPECTOR-CUM-FACILITATOR

Inspection scheme under sub-section (2) of section 51	**46**	(1) For the purposes of this Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the State Government for inspection of the establishments covered under the Code. (2) Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be the competent authority to resolve the problems arising in the course of implementation of inspection scheme and can issue any order or directions regarding the same.
Powers of Inspector-cum-Facilitator	**47**	IcF appointed under sub-section (1) of section 51 shall exercise the following powers: (a) enter, at all reasonable hours, with such

under clause (e) of sub-section (6) of section 51	assistants (if any) being persons in the service of the Government or any local or other public authority, as he thinks fit, any premises or place where employees are employed or work is given out to out-workers whether unskilled occupation, skilled occupation, semi-skilled, occupation, and highly skilled occupation in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Code, for the purpose of examining any register, records of wages or notices, required to be kept or exhibited by or under this Code or rules made thereunder, and require the production thereof for inspection; (b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is an employee employed therein or an employee to whom work is given out therein and require any person giving out-work and out-workers, to give any information, which is his power to give, with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received and with respect to the payments to be made for the work; (c) seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof, as he may consider relevant in respect of an offence under this Code, which he has reason to believe, has been committed by an employer; (d) supervise the payment of wages to persons employed in any factory or industrial or any other establishment; (e) to prosecute, conduct or defend before a Court or competent Authority, any complaint or other proceeding arising under the Code or in discharge of his duties as an Inspector-cum-Facilitator and secure such evidence, as may be necessary for the purpose; (f) upon complaint received from an employee or worker or a registered trade union

		related to the establishment, regardless of the fact, whether an inspection scheme stands formulated as per sub-section (2) of Section 51, the Inspector-cum- Facilitator shall be required to undertake complete inspection of the establishment(s) and make as many visit to the establishment(s) as may be necessary, with the prior written approval of Labour Commissioner Uttar Pradesh. Provided that, inspection shall be done with the prior approval of regional Additional/ Deputy Labour Commissioner and ex-facto approval shall be obtained from Labour Commissioner, Uttar Pradesh within 72 hours of such inspection, in case if complaint is received through any Commission established under law (e.g. National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, National Commission for Protection of Child Rights, State Commission for Protection of Child Rights etc.) or the compliant is related to issues regarding employment of child labour and/ or bonded labour or if the Inspector-cum-Facilitator is informed by any means that any fatal accident has occurred in the establishment. (g) Every Inspector-cum-Facilitator shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023); (h) Any person required to produce any document or thing or to give any information to an Inspector-cum-Facilitator under sub-rule (a) to (e) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section-210 and section-211 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

CHAPTER IX
OFFENCES AND PENALTIES

Appointment of officer to impose penalty under sub-section (1) of Section 53	**48**	The State Government by notification in the Official Gazette, shall appoint an Gazetted Officer not below the rank of Under Secretary of Government of Uttar Pradesh or Deputy Labour Commissioner of minimum pay matrix-11 within the limits of its territorial jurisdiction for the purpose of imposing penalty under clauses (a) and (c) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 54 and sub-section (7) of section 56, as the case may be, for holding enquiry in such matter, as prescribed in rule-49 and Rule-50 of these rules.
Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53	**49**	(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 under rule-48 (hereinafter in this rule referred to as the Compounding Officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 or Code on Industrial Relations, 2020 or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance. (2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross-examination in writing and take the documentary evidence on

		record. (3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer. (4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.
The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56	**50**	(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form-X, physically or electronically, appended to these rules, electronically or otherwise to the Compounding Officer/ Gazetted Officer notified under said sub-section (1). (2) The Compounding Officer/ Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall; on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable, he shall send a notice on Form-XI and if the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer. (3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the compounding officer/ Gazetted Officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section

		(6) of section 56 or to the Competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Officer or Court shall discharge the accused and close the prosecution. (4) The Compounding Officer/ Gazetted Officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER X
MISCELLANEOUS

Timely payment of wages	**51**	Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17. *Explanation* .- For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Act No. 9 of 1932).
Responsibility for payment of minimum bonus under section 26	**52**	Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees and may recover the same from the contractor.
Display	**53**	(1) In terms of sub-section (2) of Section 50. all

Notices to be put up by employers under sub-section (2) of section 50	employers and principal employers shall ensure that the contents of display notices shall be displayed prominently at each entry and exit of each unit of the establishment. (2) The display notices shall be put up in languages that are understood by majority of the workers working in the said unit of the establishment. (3) The display notices shall be put up in such size to enable a person with normal eyesight to conveniently read the contents thereof, from a distance of 10 metres at least. (4) The display notices shall be visible at all times and on all days. (5) Schedule for display notices: (a) Minimum wage rate fixed by State Government for all categories of employees. (b) Weekly day of rest. (c) Paid rest day. (d) Working hours (e) Overtime payment. (f) Overall maximum hours of work in a week. (g) Scheduled breaks (h) Date and time of payment of wages. (i) Details of inspector-cum-facilitator having jurisdiction (j) Details of authority appointed under section 45. (k) Wage period

		(l) Other such notices as prescribed under these rules.
Annual Returns	**54**	(1) The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the code applies in the relevant Columns of the Form Specified for such purpose in the rules made under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). (2) A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

Digitally signed by Shanmuga Sundaram
Date: 14-02-2026 12:03:22

By Order,

(Dr. M.K. Shanmuga Sundaram)
Principal Secretary.

Form-I

[See rule-17 (6), rule-19 (3) and rule-20]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for Damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN)

Sr.No. in Employee Register	Name of the employee	Designation/ De	Duration of payment of Wages (Monthly fortnightly/ Weekly/ Daily/ piece rated)	Wage Period Form-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in ca	Rates of wages		
							Ba	DA	All

		partment				se of piece workers)	sic		owances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction or recovery from wages	Total amount of wages paid	Date of payment	Attendance Date	Attendance Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Form - II
(See sub-rule (2) rule 40)

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment: Name of the employer:
Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:
Labour Identification Number (LIN):

Sl.	Employee	Na	Surna	Gen	Father's/	Date of	Nation	Education	Date of Joi	Designa	Cateogary (HS/S/ SS	Type of Employ

No.	code	me	me	der	Spouse name	birth	ality	level	ning	tion	/US)*	ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP NO.	AADHAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permane Addres
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Service Book No.	Date of Exit	Reasons for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/ Thumb Impression	Remarks
24	25	26	27	28	29	30

= Highly skilled/ Skilled/ Semi-skilled/ Unskilled

Form- III

(see rule-43)

SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 OF THE CODE

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 of 2019)

FOR..... AREA.....

Application No.....of 20.....

Between ABC and (State the number).....other.....

Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator)

Address.....

.....

and

XYZ.....

.....

Address.....

The application states as follows:

1. The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ..... to ..... as (cateogary) in .....(establishment) of Shri/M/s.....(name of the employer) and was/were/has been/ have been engaged in .....(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.
2. The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code of Wages, 2019.
3. (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their cateogary (cateogaries) of employement(s) under the Code by Rs..... per day for the period(s) from ..... To .....

   (b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs..... per day for the weekly days of rest from ..... to .....

   (c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from ..... to .....

   (d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ..... To .....

   (e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicants(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

   (f) The applicants(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year.....

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs.....
(b) Rs.....
(c) Rs.....
Total Rs.....

4. The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages,2019 for ;

a. Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages **and** actually paid,
b. Payment of renumeration for the days of rest.
c. Payment of wages at the overtime rates,
d. Payment of delayed wages

e. Payment of deductions in wages made in contravention of the Code
f. Payment of unpaid bonus
g. Compensation amounting Rs.....

5. The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated: .....

Signature or thumb impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector-cum-Facilitator.

Mobile. number and email id: .....

Note: The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

FORM-IV
(see sub-rule (1) of rule 44)
CERTIFICATE OF AUTHORISATION

I/We employed person(s) hereby authorize Sri/Smt/Ku. ..... , a legal practitioner ..... / Sri/Smt/Ku. .....an official of ..... which is a registered Trade Union to act on my/our behalf under section 45 and section 49 of the Code on Wages 2019 (29 of 2019), in respect of the claim/ appeal against ..... on account of the difference between wages payable and actually paid under the Code/ payment of remuneration of days of rest/ payment of wages at the overtime rates/ delay in payment/ illegal deductions from my/our wages/ non-payment of bonus for.....

Witnesses: Signature:
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

Date:

Place:

I accept the authorisation.

Signature of authorized person/
Legal practitioner/ Official of a
registered trade union with Seal.

FORM - V
(see clause (i) of sub-rule (5) of rule- 44)
NOTICE FOR THE DISPOSAL OF APPLICATION

Whereas, under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material questions relating to the claim application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the ..... day of .....20.. at ..... o'clock in the forenoon/ afternoon to answer the claim;

and, as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the claim application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the claim application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of .....20...

Authority Seal

FORM – VI
(see clause (i) of sub-rule (6) of rule- 44)
RECORD OF ORDER OF DIRECTION

1. Serial number.....
2. Date of the application.....
3. Name or names, parentage, address or addressed of the applicant, or some, or all of the applicants belonging to the same unpaid group:
4. Name and address of the employer:
5. Amount claimed:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs .....
(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs .....
(c) as payment of wages of overtime rates: Rs .....
(d) as payment of delayed wages: Rs. .....
(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs .....
(f) as non-paid bonus: Rs .....
(g) compensation amounting as: Rs .....

6. Plea of the employer and his examination (if any):
7. Finding, and a brief statement of the reasons therefore:
8. Amounts awarded:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs .....
(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs .....
(c) as payment of wages of overtime rates: Rs .....
(d) as payment of delayed wages: Rs. .....
(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs .....
(f) as non-paid bonus: Rs .....

9. Compensation awarded.....
10. Costs awarded to:

(a) Court-fee Charges.....
(b) Pleader' s fee.....
(c) Witnesses' expenses.....

11. Date by which the amounts awarded shall be paid.

Dated: Authority

Note:- In case where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

Form VII

(See sub-rule (1) of rule 45)

Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C
Address.....
.....Appellant.

Vs

C.D.E.
Address.....
.....Respondent.

DETAILS Of APPEAL:

1. - Particulars of the order against which the appeal is made:
   Number and Date:
   The authority who has passed the impugned order:
   Amount awarded:
   Compensation awarded, if any:

2. - Facts of the case:
   (give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact)

3. - Grounds for Appeal:

4. - Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:
   The appellant further declares that he had neither previously filed any appeal, writ petition nor suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any

other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. - Reliefs sought:
In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):-
[Specify below the relief(s) sought]

6. - List of enclosures
1-
2-
3-
4-
.....
Date:
Place:

Name and Signature of the applicant
Mobile. number and email id: .....

For office use

Date of filing
Or
Date of receipt by post

Registration No. Authorized Signatory

FORM – VIII
(see sub-rule (3) of rule- 45)

NOTICE TO REPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE HEARING OF THE APPEAL UNDER SECTION 49 OF THE CODE ON WAGES, 2019

Appeal from the decision of the Authority for the ..... area dated the .....day of 20....

To

.....

..... (Respondent)

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed from the decision of the Authority for ..... Area has been presented by .....X, Y.Z. (and others), and registered in this office, and that the .....day of 20..... has been fixed by this Appellate Authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, or by someone by law authorized to act for you this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal, this .....day of .....20..

Seal Appellate Authority

Form – IX
(See rule 42)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment.....
Address.....
Period.....

1- Name of the employee:
2- Father's/ Spouse name:
3- Designation:
4- UAN:
5- Bank Account No.:
6- Wage period:
7- Rate of Wages payable: a) Basic. b)D.A. c) other allowances
8- Total attendance/unit of work done:

9- Overtime wages:
10- Gross wages payable:
11- Total Deductions: a) PF b) ESI c) Others.
12- Net wages paid:

Employer/
Pay-in-charge signature

Form X
[See sub-rule (1) rule- 50]

APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 OF THE CODE

To,
The Compounding Officer,
Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,
Region ..... Date: .....

Dear Sir/ Madam,

I/We ..... , employer of M/s ..... address ..... am/ are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 of the Code on Wages, 2019. I/We have/had committed following offence(s) under the Code:

1. .....
2. .....
3. .....

Prosecution for the above violations-

1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.
2. * has been filed against the undersigned in the Court of .....

The details of the prosecution filed are given below:
1. Date of Inspection/ complaint: .....

2. Case no. and date of filing of prosecution: .....
3. Section(s) and Rule(s) which were found violated: .....
4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: .....
5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: .....
6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior offence:
.....
.....
.....
7. Any other information which the applicant desires to provide:
.....
.....
.....

It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of the section 56 of the Code on Wages, 2019. It is also requested to the Compounding Officer to inform the competent Court under section 52 and /or Officer authorized under section 53 for imposing penalty.

Date: Name and signature of applicant
Place: Name of the establishment:.....
Address of Establishment:.....

* strike out whichever is not applicable

Form XI
[See sub-rule (2) of rule-50]

NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF 56 OF THE CODE

NOTICE

To,
..... (Name of employer)
M/s .....
..... (Address)

Kindly refer to your application dated ..... regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of Code on Wages, 2019 (Act no 29 of 2019) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) ..... of the Code on Wages, 2019. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) ..... are compoundable while the offence(s) under the section(s) ..... may not be compounded for the reasons stated below under the Code on Wages, 2019-

1. .....
2. .....

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees ..... By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) ..... as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the abovementioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of section 56 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on ..... day of ....., 20.....

Compounding Officer,
Seal

FORM - XII

[*See* sub-rule (3) of Rule 40]

Nomination Form

To

.....

.....

.....

[Give here name or description of the establishment with full address]

1. I, Shri/Shrimati/Kumari ..... whose particulars are given in the statement below,

   .....

   .....

   .....

   .....

   [Name in full here]

   hereby nominate the person(s) mentioned below to receive all the unpaid dues as per Code on Wages, 2019 payable after my death standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said unpaid wages and other amounts shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is a/are member(s) of my family within the meaning of clause (f) of sub-rule (1) of Rule (2) of the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.
3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (f) of sub-rule (1) of Rule (2) of the said Rules.

4.

b. my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

c. the income of my dependent parents including my father-in-law/mother-in-law (in case of women employees) from all sources does not exceed such income as specified by State Government for this purpose.

d. my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband

a. My father/mother/parents is/are not dependent on me.

5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s):

1. Name in full with full address of nominee(s)
   .....
   Relationship with the employee .....
   Age of nominee .....
   Proportion by which the unpaid amount will be shared
   .....

(2) .....
(3) .....
(4) .....

Statement

1. Name of employee in full .....
2. Gender .....
3. Religion .....
4. Whether unmarried/married/widow/widower
   .....
5. Department/Branch/Section where employed
   .....
6. Post held with Ticket or Serial No., if any
   .....
7. Date of appointment .....
8. Permanent address: Village ..... Thana ..... Sub-division ..... Post Office .....
   District ..... State.....

Place:
Date:

Signature/ Thumb impression
of the employee

Declaration by witnesses

Nomination signed/thumb impressed before me.

Name in full and full address of witnesses.
Signature of witnesses.
1.
2.

Place:
Date:

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any: .....

Date and Signature of the employer/
Officer authorised
Designation

Name and address of the establishment or rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XII filed by me and duly certified by the employer.

Date and Signature of the employee

Schedule A

(See sub-rule (3) of rule 7)

Classification of workers in categories as per their skill

S.No. **UNSKILLED**

1. Beldar
2. Calf boy
3. Cattleman
4. Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5. Collecting loose fodder
6. Dairy coolie
7. Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure,Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8. Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey
9. Dresser
10. Driver (Bullocks Mule)
11. Grazler
12. Dairyman
13. (Store-Mazdoor)
14. Carrier (Stone)
15. Breaker (using manual appliances)
16. Helper
17. Messenger (Office)
18. Mali
19. Syce
20. Tying and Carrying loose hay
21. Sweeper,
22. Weighing and Carrying bales,
23. Weighman (Bales, pally)
24. Waterman,
25. Stable man,
26. Trolly man
27. Valveman
28. Watchman
29. White Washer
30. Wooderman
31. Wooder Woman
32. Borryman
33. Coalman,
34. Condenser
35. Attendant,
36. Grass Cutter,
37. Muchhers|amadars,
38. Condenser Attendant,

39. Shunters
40. Turner,
41. Bajri Spreader,
42. Beater Women,
43. Bell-Woman
44. Chain Man,
45. Boat Man
46. Bucket Man
47. Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48. Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit)
49. Cartman,
50. Caretaker (Bridge),
51. Carrier (Water),
52. Chowkidar
53. Concrete (Hand Mixer),
54. Daffadar,
55. Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
56. Flag.Man,
57. Flagman (Blast Train),
58. Khalasi not attending to machines
59. Gangmen,
60. Gatingman (Permanent Way),
61. Handle Man, Jumper Man,
62. Kamin (Female Work),
63. Khalas,
64. Bridge,
65. Electrical,
66. Marine,
67. Moplah,
68. Store,
69. Steam Road,
70. Share,
71. Roller Survey,
72. labourer (Garden),
73. Mazdoor,
74. Hole Cutter,
75. Lorry Trainees,
76. Petrolman,
77. Searcher
78. Signal man
79. Strikers
80. Vaks Controller
81. Cleaner
82. Dresser / Dressing Mazdoor
83. Loader
84. Mazdoor (Male/Female)
85. Messanger (Male / Female)

86. Trammer
87. Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
88. Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89. Sweeper (Male / Female)
90. Carrier
91. Number Taker
92. TrollyTriper
93. Water Carrier
94. Earth Cutter
95. Survey Khalasi
96. Gate Man,
97. Concrete (Hand Mixer)
98. Dismantling stocks
99. Lampman
100. Beldar/Beldar (Canteen)
101. Coolie
102. Peon
103. Cook-helper
104. Office Boy
105. Quarry Worker
106. Jelly Maker
107. Over burden Remover
108. Waste removing mazdoor
109. Unloader
110. Excavating Labour
111. Digger
112. Butcher
113. Attender
114. Lorry Helper
115. Surface loader
116. Wood Cutter
117. Surface Mukar
118. Under Ground Mukar
119. Striker (Moplah gang),
120. Tall Boy,
121. Tile
122. Person employed in loading and unloading
123. Person employed in sweeping and cleaning and other cateogires by whatever name called which are of unskilled nature

S.No.	SEMI SKILLED
1	Assistant (Chowdhary)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline,
3	Stable, (Yard Stock)
4	Assistant-Plumber Attendant

5	Bhisti
6	Brander
7	Bullman
8	Butterman
9	Coachman
10	Cobbler
11	Cultivator
12	Daftry
13	Deliveryman
14	Dhobi
15	Dresser
16	Fireman
17	Gowala
18	Hammerman
19	Helper (Blacksmith)
20	Helper
21	Jamadar (stand)
22	Jamadar
23	Khalasi
24	Mali Senior
25	Mate/Mistry
26	Mazdoor (literate)
27	Nalband
28	Oilman
29	Ploughman
30	Vtackers
31	Supervisor
32	Thatcher
33	Valveman
34	Valveman (Senior)
35	Wireman fixing tin cables
36	Cook
37	Dandee
38	Frash
39	Hacksaw man
40	Helper (locco-Crane/Truck)
41	Manjhee (Boatman)
42	Belchawala
43	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
44	Bhisti (with Mushk)
45	Boatman (head)
46	Breaker,
47	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal
48	Canweaver
49	Chainman(Head)

50	Charpoy-Stringer
51	Checker
52	Cracker
53	Dollyman
54	Assistant
55	Driller
56	Driver (Skin)
57	Excavator
58	Ferroman
59	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
60	Gate Keeper
61	Gharami
62	Classman
63	Grater
64	Greaser-cum-Fireman
65	Grinder
66	Hammerman
67	Helper (Artisan)
68	Helper (Sawyer)
69	Keyman
70	Khalasi (Head Survey, Riverttters-Moplah Gang, Supervisory)
71	Labourer (Rock-Cutting)
72	Lascar
73	Mali (Head)
74	Stockers and Boilerman
75	Thoombaman (Spade worker)
76	Tindals
77	Trollyman (Head Motor)
78	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
79	Jamadar (Semi-skilled)
80	Mate (Stone)
81	Kasab
82	Khalasi (Structural)
83	Masalchi P.M. Mates
84	Miner
85	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
86	Butler/Cook
87	Breaker (using mechanical appliances)
88	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
89	Assistant Driller
90	Oilman/Oiler
91	Chowkidar/ Watchman
92	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
93	Tindals
94	Topas

95	Topkar (Big Stone Breaker)
96	Trollyjamadar
97	Winchman
98	Attendance-keeper
99	Assistant Wireman
100	Mate
101	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
102	Engine Driver and/or Feeder
103	Fitter
104	Gang
105	Mazdoor
106	Mason
107	Permanent Way
108	Pump-Driver-Turner
109	Mazdoor (Heavy-weight)
110	Charge-man
111	Mistri (Head)
112	Muccadam
113	Night-guard
114	Runner (Post dak)
115	Oilman
116	Quarry man
117	Quarry Operator
118	Stoneman
119	Stocker
120	Thatcher
121	Pump Attendant
122	Bearer
123	Breakman
124	Crowlder Man
125	Laboratory Boy
126	Pointsman Sencummy
127	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature

S.No.	SKILLED
1.	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boilerman
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician

11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic
18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,
28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meterorogical Observer Navghani
39	Operaor (Batching Plant, Cinema Project,Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser,Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving,Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
40	Sharper/Slotter
41	Sprayer (Ashalt) Station Master
42	Surveyor (Silt)
43	Trades-Man
44	Train Examiner
45	Turner/Miller
46	TyreVulcaniser
47	Sawyer
48	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49	Serangpile
50	Driving Pantooms with Boiler
51	Shapesman
52	Shift-incharge
53	Sprayman
54	Sprayman (Roads)

55	Stone Cutter
56	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57	Stone Chisler
58	Stone Chisler (Class II)
59	Stone Blasterer
60	Sub-Overseer (Unqualified)
61	Surveyors
62	Pump Driver
63	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II) Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
64	Pumpman
65	Pumpman (Assistant)
66	Plumber
67	Polisher (with spray) Grade II
68	Ratan Man
69	Rivet Cutter (Assistant)
70	Rivetter
71	Rivetter (Cutter)
72	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
73	Rod Bender
74	Haulage Operator
75	Dispensary Attendant
76	Work Sakar
77	Mica Cutter Grade -I
78	Dresser Grade -I Mica
79	Supervisory Fireman
80	Fireman only in Mines
81	Compressor Driver
82	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
83	Surveyors (Assistant)
84	Tailor
85	Tailor(Upholstry)
86	Transprayer
87	Tar man
88	Line Man
89	Tiler Class II
90	Wall(Floor, Roof)
91	Tiler (Selection Grade)
92	Tin-Smith
93	Tin Smith(Selection Grade. Grade II and III, Class II) Tinker
94	Well Sinker
95	Assistant Mistry
96	Armature Winder Grade-II and III
97	Bhandari
98	Blacksmith
99	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)

100	Boilerman
101	Boilerman Grade II and III
102	Boiler Foreman Grade II
103	Work (Assistant)
104	Brick Layer
105	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
106	Blaster
107	Chowkidar (Head)
108	Security Guard (without arms)
109	Carpenter
110	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
111	B.I.M. Road
112	Cabinet Maker
113	Caneman
114	Celotex
115	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
116	Checkder (Junior)
117	Chick Maker
118	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer Concrete Mixure Operator
119	Cobbler
120	Coremaker
121	Driver
122	Driver Motor Vehicle
123	Motor Vehicle Selection Grade
124	Motor Lorry
125	Motor-Lorry Grade II
126	Lorry Grade II
127	Diesel Engine
128	Diesel Engine Grade II
129	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc. Road Roller
130	Road Roller Driver Grade II
131	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller,Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane,Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
132	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
133	Distemprer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
134	Fitter
135	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
136	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber) Gharami (Head)
137	Glazier
138	Polisher (with spray) Grade II
139	Hole Drillar for Blasting
140	Joiner
141	Joiner (Cable,Cable Grade II)
142	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension) Mason
143	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry) Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work) Brick-layer

144	Tile Flooring
145	B.I.M.Muccadam (Head).
146	Stone cutting
147	Ordinary Machanis
148	Mechanic
149	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
150	Diesel Grade II
151	Road Roller Grade II
152	Assistant, Radio)
153	Manson (Gharami)
154	Mistry
155	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
156	Mason Class A
157	Moulder
158	Moulder (Brick, Tile)
159	Painter
160	Painter (Selection Grade,Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher,Rough)
161	Plasterer
162	Plasterer (Mason Grade II)
163	Plumber
164	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
165	Plasterer
166	Plasterer (Mason Grade II)
167	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
168	Plumbing Mistry
169	Plumber-cum-Fitter
170	Polisher
171	Polisher (Floor)
172	Sirdhar Lathe Man
173	Geologist
174	Trailors
175	Turner
176	Upholsterer
177	Upholsterer (Grade II and III)
178	Painter Spray (Class II)
179	Wood Cutter
180	Wood Cutter Section Grade
181	Wood Cutter Class II
182	Work Sircar
183	Welder
184	Airwineh Haulage Operator
185	Auto-electrician
186	Painter
187	Blacksmith
188	Tailor
189	Compressor Operator Blaster/Shot-firer Driver
190	Head cook Chargeman Carpenter
191	Concrete Mixer Operator Compressor Attendant Air Compressor Attendant Tractor Driver
192	Vehicle Driver
193	Chemist and Assistant/ Chemist Sub- overseer (unqualified)

194	Driller
195	Handhole Driller
196	Drill Mechanic
197	Driver Auto
198	Electrician
199	Wirelesss Operator Asstt. Foreman
200	Foreman
201	Fitter
202	Ferry Driver
203	Issuer Loco
204	Super Foreman
205	Hoist Operator
206	IMCE Driver
207	Driver
208	Loco Driver
209	Loader Operator
210	Linesman
211	Mechanic/ Machinist
212	Mason
213	Mid Wife
214	Tinsmith
215	Supervisory Mechanic
216	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
217	Pump Operator/Driver
218	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines\ Regulations, 1961
219	Mistry
220	Skilled Mazdoor
221	Turner
222	Senior Mechanic
223	Pipe Fitter
224	Supervisor
225	Drafts Man
226	Wireman
227	Timber Man/Timber Mistry Elect.
228	Stone Crusher Operator
229	Crusher Operator
230	Moulder
231	Welder
232	Operator
233	Work Mistry
234	Engine Driver
235	Mining Engine Driver Grade -II
236	Engineman
237	Valveman
238	Cutter
239	Winding Engine Driver Grade - II
240	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
241	Shovel Operator
242	Limco Loader Operator
243	Surface Supervisor
244	Dozer Operator

245	Compressor Driller
246	Dumper Tractor Operator
247	Boiler Man (with Certificate)
248	Machinery Attendant
249	Air-conditions Mechanic
250	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
251	Power Shovel Operator
252	Power and Pump House Operator
253	Miner Grade - I
254	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
255	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
256	Diesel Mechanic
257	Ferro Printer cum-chairman
258	White Washing and Colour Washing Man
259	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
260	Boreman
261	Borer
262	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
263	White Washer
264	White Washer (Selection Grade, Class II)
265	Wireman Welder (Class II, Bridge work)
266	Welder gas
267	Muccatam (with Compentency Certificate under MetalliferousMinesRegulations, 1961).
268	Security Guard (without arms)and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
269	Assistant (Farm)
270	Assistant (Cashier)
271	Librarian
272	Telex or Telephone Operator Hindi Translator
273	Telex or Telephone Operator Hindi Translator
274	Accounts Clerk
275	Clerks
276	Computer/Data Entry Operator Telephone Operator, Typist Store Attendant
277	M. C. Clerk
278	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
279	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate) Store Keeper
300	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate) Time Keeper
301	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate) Book Keeper
302	Work Munshi
303	Work Munshi (Subordinate)
304	Magazine Clerk
305	Teller Clerk
306	Store clerk
307	Tally Clerk
308	Store Issuer
309	Tool Keeper
310	Computer/Date Entry Operator
311	Record Keeper
312	Tracer
313	File Clerk
314	Register Keeper

315	Time Keeper
316	Clerk
317	Munshi
318	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature

S.No.	HIGHLY SKILLED
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)
10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I
18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
24	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I
32	Pump Grade
33	Scrapper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scrapper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I
39	Blacksmith Grade I and Class I

40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I
49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I) Mast Rig
55	Mechanic Class I and Class II
56	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
57	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
58	Mistry (Airconditioning Grade I)
59	Overseer
60	Overseer (Senior and Junior)
61	Dragline Grade I
62	Drill Grade I
63	Dumper Grade I
64	Excavator Grade I
65	Fork Lift Grade I
66	Generator Grade I
67	Rigger Grade I
68	Rigger Grade II
69	Charper/Sletter Grade I
70	Shovel and Dragline Tractor Grade I
71	Tradesman Class I
72	Turner/Miller Grade I
73	Work (Assistant) Grade I
74	Compounder
75	Surveyor
76	Winding Engine Driver
77	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
78	Head Mistry
79	Staff Nurse with Diploma
80	Drill Operator other than Jack Hammer
81	Electrical Supervisor with Competency Certificate
82	Underground Shift Boss
83	Head Mechanic
84	Qualified and Experienced Welder
85	Machine Tool Mechanic

86	Mechanical/Plant Foreman
87	Mining Supervisor
88	Vocational Training Instructor/Teacher
89	Head Electrician
90	Accountant
91	Steno with 7 years of service
92	Store Incharge
93	Shift Incharge
94	Supervisor
95	Incharge of Watch and Ward
96	Security Guard (Armed)
97	Crane Grade I
98	Diesel Engine Grade I
99	Dozer Grade I
100	Clamp Shell Grade I
101	Compressor Grade I
102	Grader Grade I
103	Tractor Grade I
104	Vibrator Grade I
105	Screening Plant Grade I
106	Shovel Grade I
107	Shovel and Dragline
108	Tyre vulcanser Grade I
109	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature